इंडिया पोस्ट
पेमेन्ट्स बैंक
India Post
Payments Bank

एक सफर जो बाधाओं को पार कर हुआ अग्रसर

नई राह
एक गौरवशाली
संस्थान की
ओर

वार्षिक रिपोर्ट 2017-18

इंडिया पोस्ट
पेमेन्ट्स बैंक

India Post
Payments Bank

एक सफर जो बाधाओं को पार कर हुआ अग्रसर

इंडिया पोस्ट पेमेन्ट्स बैंक ने प्रत्येक देशवासियों को आर्थिक सशक्तिकरण की राह पर अग्रसर करने के लिए एक अद्वितीय पथ का चयन किया है. आज़ादी के बाद से औपचारिक बैंकिंग व्यवस्था ग्रामीण भारत तक पहुंचने में पूर्ण रूप से सफल नहीं हुई है. बैंकिंग सुविधा से वंचित एवं कम बैंक सुविधा वाले ग्रामीण भारत में आईपीपीबी एक महत्वपूर्ण परिवर्तनकारी पहल सिद्ध होगा।

देश के हर जिले, शहर और गांव तक फैले भारतीय डाक विभाग के लगभग 1.55 लाख डाकघर और 3.0 लाख डाक कर्मचारियों के विशाल नेटवर्क का लाभ उठाते हुए आईपीपीबी ग्रामीण बैंकिंग संरचना के आकार को लगभग 7 गुणा बढ़ाने के लिए कृतसंकल्प है। आईपीपीबी द्वारा तकनीकी एवं किफायती रूप से बनाया गया सरल एवं सहज ऐप्लीकेशन डिजिटल साक्षरता को बढ़ाने हेतु मुख्य चुनौतियों का समाधान करने में मददगार साबित होगा। यहां हर-प्रकार की भुगतान क्षमता एक पारदर्शिता लाती है, जिससे 'नकद-रहित' अर्थव्यवस्ता को आधार प्रदान करते हुए धोखाधड़ी की संभावना को समाप्त करती है तथा भारत की सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में भागीदारी प्रदान करेगा. डाक कर्मियों के लिए एक व्यापक प्रक्षिशण कार्यक्रम चलाया गया है जो कि दूर-दराज के क्षेत्रों के लिए अब तक का सबसे बड़ा एवं अद्वितीय वित्तीय एवं डिजिटल साक्षरता अभियान है।

इंडिया पोस्ट पेमेन्ट्स बैंक | India Post Payments Bank

दूसरी वार्षिक रिपोर्ट

(2017-18)

सूची

अनुक्रमणिका	पृष्ठ सं.
आईपीपीबी पर एक नज़र	01
निदेशक मंडल	14
अध्यक्ष का संदेश	15
प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी का संदेश	16
निदेशकों का रिपोर्ट	18
साचिविक लेखा परीक्षा रिपोर्ट	38
स्वतंत्र लेखा परीक्षक का रिपोर्ट	42
31 मार्च, 2018 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक खाते	47
CAG लेखा परीक्षक का रिपोर्ट	75
लेखा नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ और अवलोकन	76

विज़न (परिदृष्टि)

आम आदमी के लिए सबसे सुलभ,
किफायती एवं भरोसेमंद बैंक का निर्माण करना

उद्देश्य

बैंकिंग सेवाओं को प्राप्त करने के लिए
बाधाओं को दूर करके एवं लागतों को घटाकर
वित्तीय समावेशन का विस्तार करना

प्रेरणादायी सिद्धान्त

1 दूर-दराज के इलाकों तक व्यापक वित्तीय समावेशन

भारतीय डाक की अत्यन्त व्यापक पहुंच का लाभ उठाते हुए बैंक रहित तथा सीमित बैंकिंग सुविधा पाने वाले दूर-दराज के इलाकों तक आर्थिक सेवाओं को उपलब्ध कराना

2 डाकघरों के मौजूदा ग्राहक आधार का लाभ

डाकघरों के मौजूदा ग्राहकों को हर प्रकार की अन्तर परिचालन बैंकिंग सेवाएं प्रदान करना

3 डिजिटलीकरण तथा 'नकद रहित' व्यवस्था का निर्माण करना

डाक विभाग के काउन्टरों का का पूरी तरह से डिजिटलीकरण करना

4 ग्राहक केन्द्रित/सरलता का अनुभव प्रदान करना

सभी माध्यमों पर एकीकृत ग्राहक अनुभव

नई राह
एक गौरवशाली संस्थान की ओर

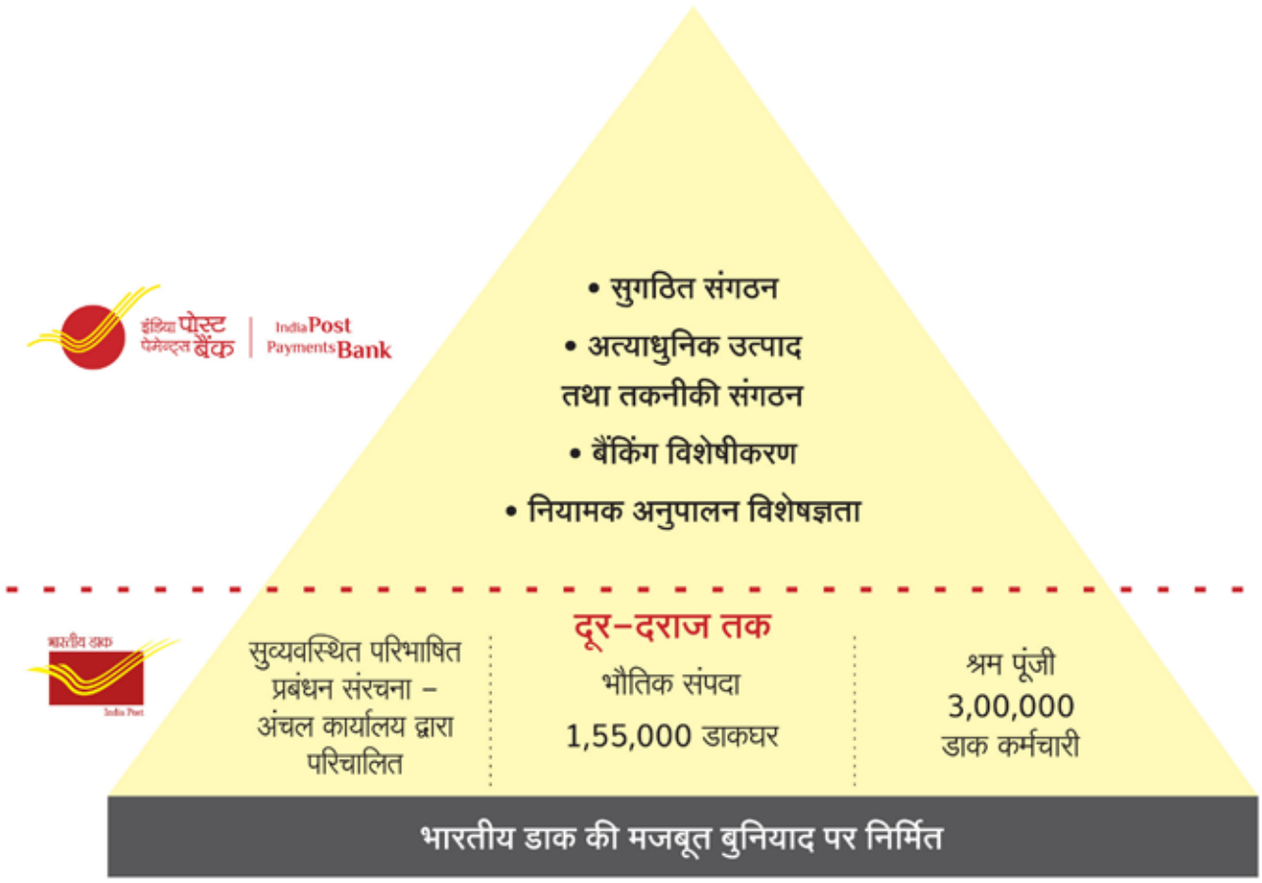

इंडिया पोस्ट को ''डिफ्रेन्शिएटेड'' बैंकिंग लाइसेंस प्रदान किया गया है,
जो कि इसे बैंकिंग प्रणाली के साथ एकीकृत करता है।

आईपीपीबी की सेवा के आधार

आईपीपीबी की बैंकिंग सेवाएं निम्नलिखित आधार पर आधारित होगी।

1 उपलब्धता

द्वार तक बैंकिंग सेवाओं को पहुंचाने के लिए 1.55 लाख डाकघरों (जिसमे लगभग 90% ग्रामीण भारत में) एवं 2.5 लाख डाकियों एवं ग्रामीण डाक सेवकों का नेटवर्क।

2 किफ़ायती

दूर–दराज तक वित्तीय सेवाओं को किफ़ायती तरीके से पहुंचाने के लिए अन्तर परिचालन पब्लिक टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर का इस्तेमाल करना।

3 सरल बैंकिंग

द्वार सेवा बैंकिंग एवं विशेष रूप से बनाये गये तकनीकी जैसे– क्यूआर कोड एवं सहायक यूपीआई के माध्यम से बैंक के उत्पाद एवं सेवाओं को प्रदान करना।

4 डिजिटल प्रणाली

इनके साथ लिंक

- भुगतान और निपटान प्रणालियां - NEFT, RTGS, UPI, IMPS
- भारत बिल भुगतान प्रणाली – BBPS
- सरकारी सब्सिडीज़ - PFMS, ABPS

5 वित्तीय साक्षरता

केवल खाता खोलना ही काफी नहीं है; ग्राहकों को यह भी जानकारी देनी चाहिए कि वे अपने खाते के द्वारा क्या–क्या कर सकते हैं। IPPB वित्तीय साक्षरता के माध्यम से वित्तीय समावेशन का प्रचार–प्रसार करेगा। इसके अंतर्गत ग्राहकों को जानकारी दी जाएगी कि किस प्रकार बीमा, असुरक्षित लोगों को सुरक्षा प्रदान करता है, किस प्रकार संपत्ति को बढ़ाया जा सकता है और किस प्रकार एक छोटी सी बचत भी बेहतर भविष्य बनाने में सहायक सिद्ध हो सकती है।

सरल बैंकिंग

आईपीपीबी QR कार्ड

आईपीपीबी QR कार्ड 'नकद–रहित' अर्थव्यवस्था की ओर अग्रसर होने में सहायक सिद्ध होगा। और इसके लिए बुनियादी संरचना निर्माण में कोई अतिरिक्त लागत भी नहीं आएगी।

आईपीपीबी QR कार्ड

वास्तविक खाता की पहचान

एक भौतिक कार्ड है
जो खाताधारक को
अलग पहचान दिलाता है।

ग्राहक/एजेन्ट के लिए सुविधाजनक

ग्राहक को खाता नंबर याद रखने की ज़रुरत नहीं पड़ती. एजेन्ट को भी मैन्युअल एंट्री नहीं करनी पड़ती (सिर्फ स्कैन करना पड़ता है)

सुरक्षित तथा निजी

बायोमैट्रिक प्रमाणीकरण, पिन याद नहीं करना पड़ता है

कोई पूंजी खर्च नहीं

महंगा PoS इंफ्रास्ट्रक्चर बनवाना नहीं पड़ता। एजेन्ट/मर्चेन्ट एप्प के जरिए स्मार्ट फोन से ट्रांजेक्शन (लेन–देन)

सरल बैंकिंग

सहायक UPI – भारत में पहली बार

NPCI के साथ भागीदारी में एक अद्वितीय वित्तीय समावेशन की पहल

आज की चुनौती

एक वर्च्युअल पेमेन्ट एड्रेस का नामांकन तथा रचना:
UPI सुविधा का इस्तेमाल केवल वो ग्राहक कर सकते हैं
जिनके पास स्मार्टफ़ोन और डेबिट कार्ड हो

समाधान – सहायक UPI

सहजता से शुरुआत:
प्रत्येक आईपीपीबी ग्राहक को खाता खोलते समय संयोजित वर्च्युअल प्राइवेट एड्रेस (VPA) जैसे कि mobilenumber@IPPB डिफॉल्ट के रूप में जारी किया जाता है।

सहायक विप्रेषण:
ग्राहक किसी भी एजेन्ट केन्द्र पर आधार एवं बायेमेट्रिक प्रमाणीकरण का उपयोग करके किसी भी VPA को पैसे भेज सकते हैं (ग्राहक को किसी स्मार्ट फोन की आवश्यकता नहीं है)

सरलता से ट्रांजेक्शन:
ग्राहक को पैसा प्राप्त करने के लिए प्रेषक को बस VPA उपलब्ध कराना पड़ता है (स्मार्टफ़ोन की जरुरत नहीं है)

इससे UPI को ग्रामीण पिछड़े क्षेत्रों तक पहुंचने में सफलता मिलेगी और डिजिटल भुगतानों में उल्लेखनीय बढ़ोत्तरी होगी।

बैंक के निर्माण में भूमिका

दिन 1
परिचालन के लिए तैयारी

शाखाएं/नियंत्रक कार्यालय

650 शाखाएं/नियंत्रक कार्यालय (लगभग प्रत्येक जिले में एक शाखा)।

एक्सेस प्वाइंट

शहरी और ग्रामीण भारत में 3,250 डाकघरों को बैंकिंग एक्सेस प्वाइंट के रुप में सक्रिय किया गया है।

काउंटर तथा द्वार सेवा बैंकिंग

शहरी तथा ग्रामीण भारत में 1600 से अधिक काउंटर सक्रिय

10000 से अधिक डाकिया/ग्रामीण डाक सेवक द्वार सेवा बैंकिंग प्रदान करने हेतु तत्पर।

दिन 1
कर्मचारी संबंधी तैयारी (भर्ती, प्रशिक्षण तथा प्रमाणीकरण)

आईपीपीबी की संख्या

आईपीपीबी में शाखाओं, अंचलों एवं कॉर्पोरेट कार्यालय में 1,900 से अधिक कर्मचारियों की भर्ती के लिए 50,000 से अधिक उम्मीदवारों का साक्षात्कार किया गया।

डाक विभाग की संख्या

डाक विभाग के 1200 से अधिक प्रशिक्षकों को प्रशिक्षित एवं प्रमाणित किया गया।

बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने हेतु 15,000 से अधिक यूजर्स को प्रशिक्षित एवं प्रमाणित किया गया।

श्रमशक्ति प्रशिक्षण

कर्मचारियों को 800,000 घंटे का प्रशिक्षण दिया गया।।

दिन 1
तकनीकी संबंधी तैयारी

सुदृढ़ तकनीकी प्लेटफॉर्म

संकल्पना डिजाइन से लेकर कार्यान्वयन तक– विभिन्न एकीकृत प्रणाली द्वारा तीव्र शुरू से अन्त तक कोर बैंकिंग नियोजन।

तकनीकी की भागीदारी

200 से अधिक आन्तरिक/बाह्य इंटरफेस के साथ 30 से अधिक एप्लीकेशन के तकनीकी आधार पर निर्मित, विभिन्न माध्यमों पर सेवाओं को एक साथ लांच किया गया।

एक लचीली संरचना पर नियोजित

राष्ट्रीय भुगतान तथा निपटान प्रणालियों के साथ अनुपालन के लिए आईपीपीबी डेटा सेन्टर, DoP डेटा सेन्टर, आईपीपीबी कॉल सेन्टर, आईपीपीबी CPC, UIDAI, NPCI, IDRBT, NSDL के साथ एकीकृत नेटवर्क।

आईपीपीबी इको-सिस्टम

लॉन्च के समय	650 शाखाएं	3,250 PO/एक्सेस प्वाइंट	15,000 द्वार पर बैंकिंग एजेन्ट्स
पूरी तरह परिचालित	650 शाखाएं	1,55,000 PO/एक्सेस प्वाइंट (लगभग 90% ग्रामीण इलाकों में)	2.5 लाख द्वार सेवा बैंकिंग एजेन्ट्स

ग्रामीण बैंकिंग संरचना में लगभग 7 गुना वृद्धि

ग्राहक क्षेत्र तथा सेवा माध्यम

एक कदम वित्तीय समावेशन और डिजिटल अर्थ व्यवस्था की ओर

मुख्य ग्राहक क्षेत्र

आईपीपीबी के उत्पाद

जमा खाते	• बचत खाता • चालू खाता
मनी ट्रांस्फर	• सरल व सुरक्षित • तुरन्त • 24X7 सेवा उपलब्ध
प्रत्यक्ष लाभ अन्तरण	• मनरेगा • छात्रवृत्तियां • सामाजिक कल्याण लाभ तथा अन्य • सरकारी सब्सिडी
तृतीय पक्ष उत्पाद	• ऋण • बीमा • निवेश • डाकघर की बचत योजनाएं
बिल तथा उपयोगी भुगतान	• मोबाइल तथा DTH रीचार्ज • बिजली, पानी और गैस के बिल • दान तथा बीमा के प्रीमियम
उद्यम तथा व्यापारिक भुगतान	• डाक विभाग के उत्पाद • ई-कॉमर्स डिलीवरी (CoD) का डिजिटल भुगतान • छोटे व्यापारी/किराना स्टोर्स/असंगठित खुदरा • ऑफलाइन भुगतान • नकदी प्रबंधन सेवाएं

आपका बैंक, आपके द्वार

व्यक्ति केन्द्रित बैंकिंग जो पहुंच की समस्या मिटाए,
सरल बनाए और सुविधा दिलाए।

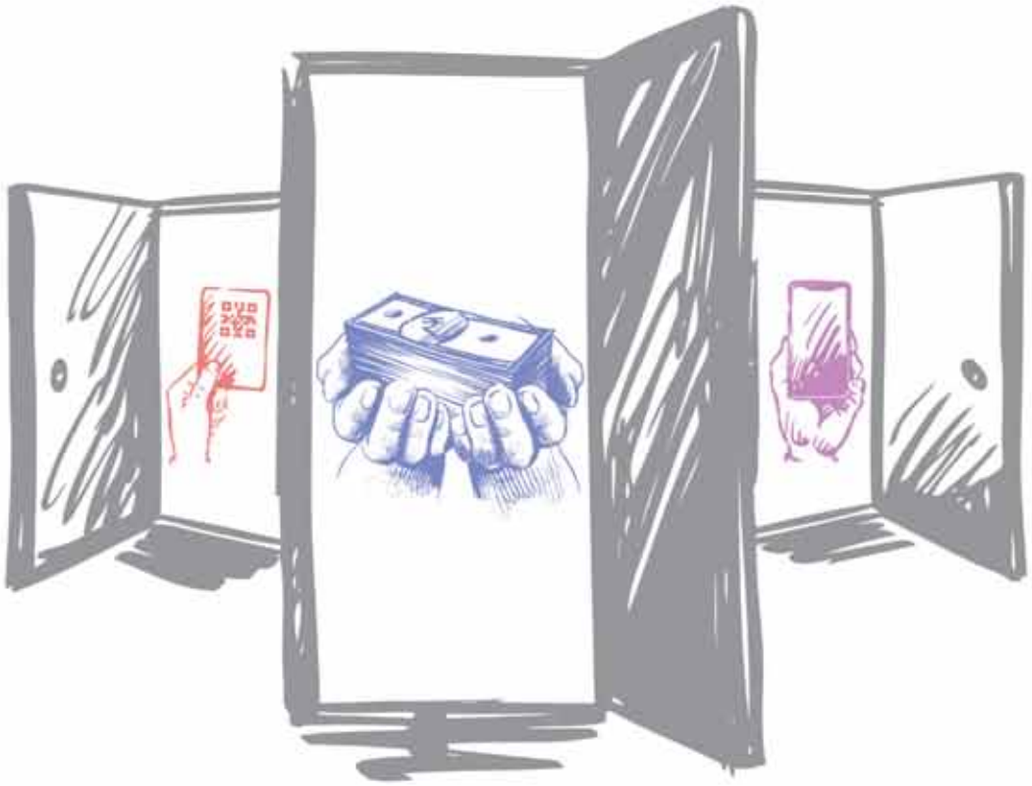

खोलिए रिश्तों का खाता

आईपीपीबी राष्ट्रव्यापी लॉन्च आयोजन, 1st सितंबर, 2018

"आज 01 सितम्बर, देश के इतिहास में एक नई और अभूतपूर्व व्यवस्था की शुरूआत होने के नाते याद किया जायेगा।"

"History will remember Sep 01, 2018 as the dawn of a new era of an unprecedented banking order"

"एकता, समानता, समावेश सेवा और विश्वास का प्रतीक यह इंडिया पोस्ट पेमेन्ट्स बैंक अब देश की बैंकिंग व्यवस्था को ही नहीं, बल्कि डिजिटल लेन-देन की व्यवस्था को भी विस्तार देने की ताकत रखता है।"

"IPPB, as a symbol of Unity, Equality, Inclusion and Trust not only possesses the capability to transform the banking infrastructure in India, but will also significantly enhance digital acceptance and a less-cash economy at the last mile"

- Hon'ble PM addressing the launch event

आईपीपीबी राष्ट्रव्यापी लॉन्च आयोजन, 1st सितंबर, 2018

“तकनीकी दृष्टिकोण से भी यह समर्थ और सक्षम बैंक है और इसकी तकनीक इतनी सरल है कि गांव का सामान्य व्यक्ति भी सुविधापूर्वक इसका उपयोग कर सकता है।”

“इंडिया पोस्ट पेमेन्ट्स बैंक का शुभारम्भ भी ऐसा ही एक साहसिक कदम है जो हमारे राष्ट्र निमार्ण के सपने को साकार करने में हमारी मदद करेगा और जिससे हमारा देश राष्ट्रों के समुदाय में अपना सही स्थान ग्रहण कर पायेगा।”

“IPPB has harnessed cutting-edge technology to deliver a simplified user experience thereby enabling even a rural citizen to conveniently use it to enjoy banking services”

“The launch of IPPB is a landmark event that will help us in our endeavor of nation building and will establish India at its rightful place amongst the nations of the world on financial inclusion”

- Hon'ble MoSC(I/C) addressing the launch event

जोड़िये नाता, खोलिये रिश्तों का खाता

इंडिया पोस्ट पेमेन्ट्स बैंक | India Post Payments Bank

आपका बैंक, आपके द्वार

जनसामान्य के लिये सर्वाधिक पहुँच वाला, किफायती एवं भरोसेमंद बैंक

- 3,00,000 डाकियों के माध्यम से बैंकिंग सेवाएं सीधे घर तक
- 1,55,000 डाकघरों द्वारा देश के हर कोने में पहुँच
- 650 शाखाएं (प्रत्येक जिले में एक)
- 3250 सेवा केंद्र
- 13 भाषाओं में बैंकिंग सेवाएं

देश की सेवा में समर्पित

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा
इंडिया पोस्ट पेमेन्ट्स बैंक की 650 शाखाओं एवं 3250 सेवा केंद्रों का एक साथ शुभारंभ

स्थान
तालकटोरा स्टेडियम, नई दिल्ली

दिनांक
1 सितंबर, 2018, दोपहर 3.15 बजे

"पोस्टल विभाग का बैंकिंग सेक्टर के लिए उपयोग सिर्फ एक नई व्यवस्था नहीं है, बल्कि इससे गरीब को गरीबी के खिलाफ लड़ने के लिए बहुत बड़ी ताकत मिलने वाली है। साथ ही, सरकारी योजनाओं का सीधा लाभ बैंक खातों में जाएगा तो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में यह एक बहुत बड़ा उपयोगी शस्त्र बनने वाला है।"

– नरेन्द्र मोदी
प्रधानमंत्री

निदेशक मंडल

श्री ए. एन, नंद
अध्यक्ष आईपीपीबी

श्री अंशुमान शर्मा
नामित निदेशक

श्री गौरी शंकर
स्वतंत्र निदेशक

डॉ. के. जी. कर्माकर
स्वतंत्र निदेशक

श्रीमती सुषमा नाथ
स्वतंत्र निदेशक

श्री विष्णु आर. दुसाद
स्वतंत्र निदेशक

श्री पी. सतीश
स्वतंत्र निदेशक

श्री संजय प्रसाद
नामित निदेशक

श्री टी. क्यू मोहम्मद
नामित निदेशक

श्री सुरेश सेठी
प्रबंध निदेशक व सीईओ

पंजीकृत कार्यालय:
स्पीड पोस्ट सेन्टर बिल्डिंग, भाई वीर सिंह मार्ग, नई दिल्ली 110 001

कंपनी सचिव: श्रीमती प्रियंका भटनागर

सांविधिक लेखा परीक्षक: वी. के. सहगल एंड एसोशिएट्स

साचिविक लेखा परीक्षक: साधना शर्मा एंड एसोशिएट्स

श्री ए. एन. नंद

अध्यक्ष का संदेश

प्रिय शेयरधारकों,

डाक विभाग, लगभग 1.55 लाख डाकघरों और 3 लाख डाक कर्मचारियों वाले अपने विशाल नेटवर्क के साथ, डाकघर बचत बैंक के माध्यम से देश के प्रत्येक जिले, शहर और गांव में वित्तीय सेवाएं प्रदान करने में अग्रणी रहा है।

डाक विभाग का, अपने विश्वसनीय नेटवर्क का उपयोग करते हुए समस्त प्रकार की बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने का लक्ष्य है ताकि देश के कोने–कोने में रहने वाले व्यक्तियों को वित्तीय समावेशन के दायरे में लाया जा सके। इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक की स्थापना से डाक विभाग का यह स्वप्न साकार होता है।

पोस्टमैन के उन लोगों के साथ सदैव विश्वसनीय संबंध रहे हैं, जिन्हें वह सेवा प्रदान करता है। लोगों के लिए पोस्टमैन एक मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक है। इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक की स्थापना के साथ पोस्टमैन, अब एक विश्वसनीय वित्तीय सलाहकार की भूमिका विभाएगा। साथ ही, वह यह भी सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा कि ग्राहकों को उनकी धनराशि यथाशीघ्र प्राप्त हो रही है, ग्राहक अपनी जरुरतों के लिए इस धनराशि को सहज रूप से प्रयोग कर पा रहे हैं तथा अपने सुनहरे भविष्य के लिए बचत कर, निवेश भी कर रहे हैं।

आईपीपीबी की विशेषताओं में, भुगतान और बैंकिंग संबंधी नवीनतम प्रौद्योगिकी, प्रयोक्तानुकूल इंटरफेस, डाकघरों का विश्वसनीय नेटवर्क तथा स्थानीय लोगों के साथ अच्छे संपर्क रखने वाला समर्पित स्टाफ शामिल है। स्केल, पहुंच, सुदृढ़ और विश्वसनीय ब्रांड तथा प्रौद्योगिकी नव प्रवर्तन का यह अनूठा संयोजन, आईपीपीबी– डाक विभाग के लिए प्रतिस्पर्धा में लाभप्रद रहेगा।

इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक का यह विश्वास है कि किसी भी राष्ट्र का विकास तभी हो सकता है, जब देश के प्रत्येक नागरिक के पास सफलता प्राप्त करने के अवसर हों, चाहे उसकी जीवन शैली जैसी भी हो। सरल, विविध तथा विकासोन्मुखी उत्पादों के साथ आईपीपीबी, प्रत्येक भारतीय को बैंकिंग सेवाओं तक पहुंच प्रदान करने का लक्ष्य रखता है।

मुझे इस बात का हर्ष है कि इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक के माध्यम से देश में वित्तीय समावेशन के भविष्य को नया रूप देने की संभावना को बल मिलेगा।

धन्यवाद,

अनंत नारायण नन्द
अध्यक्ष

श्री सुरेश सेठी

प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी का संदेश

प्रिय शेयरधारकों,

बैंक के लिए यह वर्ष अत्यंत महत्वपूर्ण रहा है और इस वर्ष के दौरान की गई प्रगति को आपके साथ साझा करते हुए मुझे अति प्रसन्नता हो रही है। वित्तीय समावेशन कार्यक्रम को आगे बढ़ाने हेतु सामान्य जनता के लिए सर्वाधिक सुलभ, किफायती एवं विश्वसनीय बैंक बनाने का हमारा सपना अन्ततः साकार हुआ है। ग्रामीण भारत में आपके विश्वसनीय डाकिया को एक वित्तीय सेवा प्रदाता की भूमिका प्रदान करके हमने बैंक रहित एवं कम बैंकों वाले क्षेत्रों में आने वाली वित्तीय बाधाओं को दूर करने के लिए एक अभियान प्रारम्भ किया है। परम्परागत बैंकों ने बैंकिंग प्रतिनिधि मॉडल का उपयोग करते हुए शाखाओं के बाहर भी बैंकिंग सुविधा प्रदान कर रहे हैं। परंतु ग्रामीण क्षेत्रों में सेवाएं प्रदान करने हेतु इंडिया पोस्ट पेमेन्ट्स बैंक के साथ डाकिया उपस्थित है, जो सर्वाधिक प्रतिष्ठित और विश्वसनीय डाक विभाग का संस्थागत प्रतिनिधि है और हमें विश्वास है कि लोगों को औपचारिक वित्तीय अर्थव्यवस्था में लाने हेतु हमारा यह प्रयास हमें सबसे अलग पहचान देता है।

केवल मात्र खाता खोलना ही पर्याप्त नहीं है, हमारे ग्राहकों को यह जानने की आवश्यकता है कि किस प्रकार इसका लाभ उनकी वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति करने तथा सपनों को साकार करने में सहायता कर सकता है। इंडिया पोस्ट पेमेन्ट्स बैंक वित्तीय साक्षरता के माध्यम से वित्तीय समावेशन का प्रचार-प्रसार करने के लिए प्रतिबद्ध है। हमारे लिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि हम अपने

> "हमारे लिए प्रत्येक ग्राहक महत्त्वपूर्ण है, हर लेन-देन अहमियत रखता है और प्रत्येक जमा राशि मूल्यवान है, चाहे वो कुछ भी हो"

ग्राहकों को यह समझाएं कि धन से धन का सृजन होता है, बीमा हमें अनचाहे घटना से बचने हेतु सुरक्षा कवच प्रदान करती है तथा बेहतर भविष्य हेतु आज किया गया लघु निवेश भी कुछ वर्षों बाद काफी लाभ प्रदान कर सकता है। ग्राहकों को यही बातें समझाकर हम अपने ग्राहक–आधार का विस्तार कर पाएंगे।

डाक विभाग डाकघर बचत बैंक के माध्यम से वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए सदैव अग्रणी संस्था रही है। आईपीपीबी ने एक सुदृढ़ एकीकृत मॉडल विकसित किया है, जिसके अंतर्गत डाकघर बचत खाता खाताधारक अपने खातों को आईपीपीबी खाता से जोड़कर बैंकिंग प्रणाली द्वारा प्रदान की जा रही अतिरिक्त सेवाओं का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इससे डाकघर बचत खाता धारक डाकघर काउंटर के अतिरिक्त अन्य माध्यमों से अनेक बैंकिंग सुविधाएं प्राप्त कर सकते हैं। जिसमें द्वार बैंकिंग सेवाएं, मोबाइल बैंकिंग ऐप के द्वारा स्वयं सेवा, एसएमएस बैंकिंग, आईवीआर बैंकिंग इत्यादि सम्मिलित हैं।

आईपीपीबी की ये परिवर्तनकारी सेवाएं तकनीक के आसान उपयोग एवं नवोन्मेष का परिणाम हैं। इस कारण से ही आईपीपीबी दूर–दराज के क्षेत्रों तक वित्तीय समावेशन से संबंधित मुख्य चुनौतियों, उदाहरण के तौर पर सुलभ एवं किफायती सेवा, डिजिटल अनुकूलन, वित्तीय साक्षरता एवं जागरुकता तथा सुरक्षित लेन–देन का सामना करने में पूर्णतया सक्षम है।

चालू वित्तीय वर्ष के दौरान आईपीपीबी सुदृढ़ एवं विश्वसनीय डाक नेटवर्क के माध्यम से सम्पूर्ण देश में बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। इस संबंध में मुझे यह सूचित करने में प्रसन्नता हो रही है कि आईपीपीबी की प्रमाणित प्रणाली तथा परिचालन क्षमता के आधार पर 1.55 लाख डाकघरों को बैंकिंग सेवा प्रदान करने हेतु एक्सेस प्वाइंटों के रूप में सबसे विस्तृत अनुमोदन प्रदान किया गया है।

माननीय प्रधानमंत्री महोदय द्वारा दिनांक 01 सितम्बर, 2018 को राष्ट्रीय स्तर पर इंडिया पोस्ट पेमेन्ट्स बैंक का शुभारंभ लगभग 20 लाख से अधिक स्रोताओं की उपस्थिति में किया गया।

हमारा तात्कालिक उद्देश्य सम्पूर्ण 1.55 लाख डाकघरों एवं 3 लाख से अधिक डाक कर्मचारियों के माध्यम से देश के प्रत्येक जिलों, कस्बों तथा गांवों में द्वार पर सेवाएं प्रदान करना है। सही अर्थ में यही है **आपका बैंक, आपके द्वार।**

आभार

कंपनी के निदेशक मंडल की ओर से, मैं अपने सभी सम्मानित शेयर धारकों का सदैव सहयोग एवं विश्वास के लिए सहृदय आभार व्यक्त करता हूँ। आपका विश्वास हमारे सभी कार्यों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने और जन सामान्य एवं राष्ट्र के लिए निरंतर जनोपयोगी सेवाएं प्रदान करने हेतु प्रेरित करता है। मैं डाक विभाग, संचार मंत्रालय, भारत सरकार के निरंतर सहयोग एवं बहुमूल्य मार्गदर्शन के लिए आभार प्रकट करता हूँ।

धन्यवाद,

सुरेश सेठी
प्रबंध निदेशक एवं
मुख्य कार्यकारी अधिकारी

निदेशकों का रिपोर्ट

सेवा में,

सदस्यगण,

आपके निदेशकों को लेखा परीक्षकों के रिपोर्ट और इस पर भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की समीक्षा के साथ 31 मार्च, 2018 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिए लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों के साथ कंपनी का द्वितिय वार्षिक प्रतिवेदन (आईपीपीबी) प्रस्तुत करते हुए प्रसन्नता हो रही है।

वित्तीय परिणाम :

पिछले वर्ष के आंकड़ों के साथ समीक्षाधीन वर्ष के लिए कंपनी का वित्तीय प्रदर्शन यहाँ दिया गया है :

राशि रुपये में

	समाप्त वित्तीय वर्ष	**समाप्त वित्तीय वर्ष**
	31 मार्च, 2018	**31 मार्च, 2017**
कुल आगम	39,80,53,249	44,98,40,286
कुल व्यय	38,78,28,643	42,76,22,678
विनियोजन के लिए उपलब्ध लाभ	**(97,53,705)**	**2,22,17,608**
आरक्षित को अन्तरित (निवल)		
– सांविधिक आरक्षित		55,54,402
तुलन पत्र में उपलब्ध शेष राशि	**69,09,501**	**2,22,17,608**
अर्जन प्रति शेयर (मौलिक)	(0.03)	0.16
अर्जन प्रति शेयर (मन्दित)	(0.03)	0.16
भारत सरकार की शेयरधारिता (%)	100%	100%

प्रदर्शन की मुख्य विशेषताएँ और संक्षिप्त विवरण

इस अवधि के दौरान, कंपनी ने रु. 39,80,53,249 का कुल आय और रु. 38,78,28,643 का कुल व्यय अंकित किया है। वर्ष के दौरान कुल हानि रु. 97,53,705 है. पिछले वर्ष कंपनी को रु. 2,22,17,608 का लाभ प्राप्त हुआ था।

सार्वजनिक जमा

(रू. 000 में)

विवरण	31.03.2018	31.03.2017
बीस सबसे बड़े जमाकर्ताओं की कुल जमा	1828	1272
बैंक की कुल जमाओं में बीस सबसे बड़े जमाकर्ताओं की जमाओं का अनुपात	15.18%	53.67%

लाभाँश

कंपनी के निदेशक मंडल ने वर्ष के दौरान कोई लाभांश नहीं घोषित किया था।

मानव संसाधन और विकास

प्रतिभा की उपलब्धता बैंक के लिए सरकार द्वारा निर्धारित असाधारण चुनौतियाँ प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। बैंक अपनी श्रमशक्ति की आवश्यकता पूरा करने के लिए विभिन्न कर्मचारी भर्ती विधियों का उपयोग करता है। कार्यात्मक विशेषज्ञों को पीएसबी से प्रतिनियुक्त किया जाता है। मध्य प्रबंधन में विभिन्न पदों को प्रतियोगी परीक्षा और साक्षात्कार से भरा जाता है। विशेषज्ञ और विशिष्ट पदों की भी अनुबंध पदों पर भर्ती की जाती है। आईपीपीबी ने विभिन्न क्षमताओं वाले पीएसबी से सेवानिवृत्त महाप्रबंधकों को भी आईपीपीबी प्रबंधकीय संवर्ग का मार्गदर्शन करने और तैयार करने के लिए उनके अनुभव और विशेषज्ञता का लाभ उठाने के लिए नियोजित किया है।

प्रशिक्षण

- कॉर्पोरेट कार्यालय में कार्यरत मध्यम प्रबंधन स्तर पर भर्ती हुए विभिन्न कर्मचारियों की वर्तमान तकनीकी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए विभिन्न विषयों जैसे – भुगतान प्रणाली, एएमएल/केवाईसी, सीवीसी दिशा–निर्देश, आईएमपीएस/यूपीआई, परिचालन, जोखिम प्रबंधन इत्यादि विषयों को प्रशिक्षण कार्यक्रम में सम्मिलित किया गया।
- व्यावहारिक प्रशिक्षण के लिए कर्मचारियों को विभिन्न विषयों जैसे – महिला नेतृत्व विकास एवं बैक के कर्मचारियों के प्रदर्शन और कल्याण को संवर्धित करने हेतु नेतृत्व, न्याय, सहायता और आध्यात्मिकता जैसे कार्यक्रमों के लिए मनोनीत किये गये।
- बैंक ने अपने कर्मचारियों एवं 3,00,000 कारोबारी प्रतिनिधियों के ई–लर्निंग को प्रोत्साहित करने के लिए स्व–अधिगम पोर्टल लांच किया।
- बैंक में भर्ती हुए स्केल I, II, III के सभी फील्ड कर्मचारियों एवं डाक विभाग से प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त कर्मचारियों के लिए आईआईसीए में 6 दिनों का विस्तृत प्रेरणा प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया।
- डाक विभाग के लगभग 4,000 मास्टर प्रशिक्षकों के लिए डाक प्रशिक्षण केंद्रो पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जो आगे 3,00,000 अंतिम यूजरों को आईपीपीबी एवं इसके उत्पाद के बारे में जागरुक बनायेंगे तथा कारोबारी प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने हेतु प्रशिक्षित करेंगे।

निदेशकों का उत्तरदायित्व विवरण

निदेशकगण सदस्यों को आश्वस्त करना चाहते हैं कि समीक्षाधीन वर्ष के लिए वित्तीय विवरण अपनी संपूर्णता में कंपनी अधिनियम, 2013 की आवश्यकताओं के अनुरूप हैं।

निदेशकों द्वारा पुष्टि की जाती है कि:

- वार्षिक लेखे को लागू लेखांकन मानकों के अनुरूप तैयार किया गया है।
- सुसंगत आधार पर चयनित और लागू की गई लेखांकन नीतियाँ, कंपनी के मामलों और वित्तीय वर्ष के लाभ के संबंध में सही और निष्पक्ष दृष्टि देती हैं।
- कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा करने के लिए; और धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं की रोकथाम और पहचान के लिए पर्याप्त सावधानी बरती गई है।
- वार्षिक लेखे को कार्यशील संस्था के आधार तैयार किया गया है।
- सभी लागू कानूनों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए विरचित प्रणाली पर्याप्त थी और प्रभावी ढंग से परिचालनरत थीं।

सांविधिक लेखा परीक्षक

आपकी कंपनी के सांविधिक लेखा परीक्षक, मैसर्स. वी.के. सहगल एंड एसोसिएट्स कं, चार्टर्ड अकाउंटेन्ट (एफआरएन – 011519एन)

को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 के संदर्भ में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (भारत के सीएजी) द्वारा वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए आपकी कंपनी का सांविधिक लेखा परीक्षक नियुक्त किया गया था। सांविधिक लेखा परीक्षक ने 31 मार्च, 2018 को समाप्त अवधि के लिए कंपनी के वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा की है।

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 139 के अनुसार, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक ने पत्र दिनाँकित 14 सितंबर, 2018 के माध्यम से मैसर्स वी.के. सहगल एंड एसोसिएट्स कं, चार्टर्ड अकाउंटेन्ट (एफआरएन – 011519एन) को वित्त वर्ष 2018-19 के लिए कंपनी के सांविधिक लेखा परीक्षक/शाखा लेखा परीक्षक के रूप में पुन: नियुक्त किया है। आपके निदेशकों द्वारा लेखा परीक्षा समिति द्वारा अनुशंसित शर्तों पर उनकी नियुक्ति की अनुशंसा की जाती है। कंपनी को इस प्रभाव के लिए आवश्यक प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है कि आगामी एजीएम में उनकी पुर्ननियुक्ति, यदि की जाती है, तो कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 141(3) (जी) के अनुसार होगी. वार्षिक रिपोर्ट में संदर्भित वित्तीय विवरणों पर नोट स्व–स्पष्टीकारी हैं और आगे किसी और टिप्पणी की आवश्यकता नहीं है।

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों का रिपोर्ट

31 मार्च, 2018 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के वित्तीय विवरणों पर स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट और उस पर प्रबंधन का उत्तर और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6)(बी) के अंतर्गत 31 मार्च, 2018 को समाप्त अवधि के लिए वित्तीय विवरणों पर भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ उस पर प्रबंधन के उत्तरों के साथ बोर्ड के रिपोर्ट के साथ संलग्न हैं।

साचिविक लेखा परीक्षा

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204 के प्रावधानों और कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिक की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियम, 2014 के अनुसार, कंपनी ने कंपनी की साचिविक लेखापरीक्षा करने के लिए मैसर्स साधना शर्मा एंड एसोसिएट्स, कंपनी सचिव, नई दिल्ली को नियुक्त किया है। कंपनी का. 31 मार्च, 2018 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिए साचिविक लेखापरीक्षा का प्रतिवेदन, प्रतिवेदन में अनुलग्नक डी के रूप में संलग्न है. साचिविक लेखा परीक्षक द्वारा अपने रिपोर्ट में कोई योग्यता, आरक्षण या प्रतिकूल टिप्पणियाँ नहीं की गई हैं।

ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी अवशोषण और विदेशी मुद्रा अर्जन और निर्गम

जैसा कि कंपनियाँ (लेखा) नियम, 2014 के साथ पठित कंपनी अधिनियम 2013 द्वारा अपेक्षित है, ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी अवशोषण और विदेशी मुद्रा अर्जन और निर्गम से संबंधित प्रासंगिक आंकड़े निर्धारित प्रारूप में दिए गए हैं और इस रिपोर्ट में अनुलग्नक के रूप में संलग्न हैं।

कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व

कंपनी की कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति को 19 जनवरी, 2107 को निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया गया था। सीएसआर प्रावधान अभी तक कंपनी पर लागू नहीं हैं।

निदेशक मंडल

बैंक का निदेशक मंडल व्यापक आधार वाला है और इसका गठन कंपनी अधिनियम 2013 और बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 के प्रावधानों द्वारा शासित है। बोर्ड प्रत्यक्ष रूप से और साथ ही बैंक के महत्वपूर्ण कार्यात्मक क्षेत्रों में केंद्रित प्रशासन प्रदान करने के लिए गठित विभिन्न बोर्ड समितियों के माध्यम से कार्य करता है।

आपस में निदेशकों के बीच संबंध

आपके बैंक के बोर्ड में कोई भी निदेशक किसी भी ढंग से, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, किसी भी अन्य निदेशक से संबंधित नहीं है।

बोर्ड की बैठकों के लिए निर्दिष्ट संख्या

बोर्ड की बैठकों के लिए सदस्यों की निर्दिष्ट संख्या, कुल संख्या का एक–तिहाई या दो निदेशक, जो भी अधिक हो, जिसमें से एक निदेशक केन्द्र सरकार द्वारा नामित व्यक्ति होगा।

31 मार्च 2018 को कंपनी का निदेशक मंडल :

अनु. क्र.	निदेशकों के नाम	पदनाम	प्रभाव के साथ अधिभोग की अवधि
1	अनंत नारायण नंद	अध्यक्ष व निदेशक	25/05/2017
2	अंशुमान शर्मा	निदेशक	17/08/2016
3	माधुमिता जी. दास	निदेशक	17/08/2016
4	सुरेश सेठी	एमडी व सीईओ	27/10/2017
5	कृष्णा गोपाल कर्माकर	स्वतंत्र निदेशक	28/06/2017
6	गौरी शंकर	स्वतंत्र निदेशक	28/06/2017
7	प्रमोद कुमार दास	स्वतंत्र निदेशक	01/12/2017
8	विष्णु रामप्रताप दुसाद	स्वतंत्र निदेशक	30/01/2018
9	पिल्लारीसेट्टी सतीश	स्वतंत्र निदेशक	30/01/2018
10	सुषमा नाथ	स्वतंत्र निदेशक	30/01/2018

निम्नलिखित व्यक्तियों को वर्ष के दौरान/अंतिम एजीएम की तिथि से रिपोर्ट तिथि तक निदेशक/प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक (केएमपी) नियुक्त किया गया था :

क्र.सं.	निदेशकों के नाम	पदनाम	प्रभाव के साथ अधिभोग की अवधि
1	अनंत नारायण नंद	अध्यक्ष व निदेशक	25/05/2017
2	सुरेश सेठी	एमडी व सीईओ	27/10/2017
3	कृष्णा गोपाल कर्माकर	स्वतंत्र निदेशक	28/06/2017
4	गौरी शंकर	स्वतंत्र निदेशक	28/06/2017
5	प्रमोद कुमार दास	नामंकित निदेशक	01/12/2017
6	विष्णु रामप्रताप दुसाद	स्वतंत्र निदेशक	30/01/2018
7	पिल्लारीसेट्टी सतीश	स्वतंत्र निदेशक	30/01/2018
8	सुषमा नाथ	स्वतंत्र निदेशक	30/01/2018
9	माधुमिता जी. दास	निदेशक	17/08/2016
10	अंशुमान शर्मा	निदेशक	17/08/2016

निम्नलिखित व्यक्ति रिपोर्ट वर्ष के दौरान/अंतिम एजीएम की तिथि से आज की तिथि तक निदेशक/(केएमपी) नहीं हैं:

क्र.सं.	निदेशकों के नाम	पदनाम	नियुक्ति की तिथि	त्यागपत्र की तिथि

1	बी.वी. सुधाकर	अध्यक्ष व निदेशक	01.09.2016	28.04.2017
2	ए.पी. सिंह	एमडी व सीईओ	27.01.2017	24.10.2017
3	संदीप दवे	नामंकित निदेशक	05.01.2017	21.07.2017

रिपोर्ट अवधि के दौरान कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार निम्नलिखित व्यक्तियों को केएमपी के रूप में नामांकित किया गया था :

क्र.सं.	व्यक्ति का नाम	पदनाम	प्रभाव के साथ अधिभोग की अवधि
1	सविता गुप्ता	मुख्य वित्तीय अधिकारी	01/03/2017
2	प्रियंका भटनागर	कंपनी सचिव	16/01/2017

बोर्ड की बैठकें

वर्ष 2017-18 के दौरान कंपनी के निदेशक मंडल की निम्न 11 बैठक आयोजित हुई:

बोर्ड की 9वीं बैठक 25 मई, 2017	बोर्ड की 10वीं बैठक 28 जून, 2017	बोर्ड की 11वीं बैठक 17 जुलाई 2017	बोर्ड की 12वीं बैठक 13 सितंबर, 2017
बोर्ड की 13वीं बैठक 4 अक्टूबर 2017	बोर्ड की 14वीं बैठक 12 अक्टूबर, 2017	बोर्ड की 15वीं बैठक 25 अक्टूबर 2017	बोर्ड की 16वीं बैठक 1 दिसंबर, 2017
बोर्ड की 17वीं बैठक 3 जनवरी, 2018	बोर्ड की 18वीं बैठक 20 फरवरी, 2018	बोर्ड की 19वीं बैठक 26 मार्च, 2018	

बोर्ड की बैठक में निदेशकों की उपस्थिति

निदेशक का नाम	आपके बैंक की बोर्ड की बैठक में उपस्थिति (आयोजित बैठकों की कुल संख्या – 11)
अनंत नारायण नंद	11 में से 11
सुरेश सेठी	4 में से 4
कृष्णा गोपाल कर्माकर	10 में से 10
गौरी शंकर	10 में से 9
प्रमोद कुमार दास	3 में से 3
विष्णु रामप्रताप दुसाद	3 में से 2
पिल्लारीसेट्टी सतीश	3 में से 3
सुषमा नाथ	3 में से 3
माधुमिता जी. दास	11 में से 11

अंशुमान शर्मा	11 में से 6

समितियाँ

बैंक के निदेशक मंडल ने कॉर्पोरेट प्रशासन और जोखिम प्रबंधन पर भारतीय रिजर्व बैंक/सेबी/भारत सरकार के दिशानिर्देशों के संदर्भ में रणनीतिक महत्व के विभिन्न क्षेत्रों का अनुसंधान करने के लिए निदेशकों और/या अधिकारियों की विभिन्न उप–समितियों का गठन किया है. महत्वपूर्ण समितियाँ निम्नानुसार हैं :

1) बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति (एसीबी)
2) नामांकन और पारिश्रमिक समिति
3) जोखिम प्रबंधन समिति
4) ग्राहक सेवा समिति
5) हितधारक संबंध समिति
6) भर्ती सलाहकार समिति

भर्ती सलाहकार समिति का गठन 01 दिसंबर, 2017 को किया गया तथा अन्य सभी समितियों का गठन दिनांक 28 जून 2017 को किया गया।

लेखा परीक्षा समिति

कंपनी की लेखा परीक्षा समिति का गठन दिनांक 28 जून, 2017 को किया गया था। इसमें दो स्वतंत्र निदेशक, एक नामित निदेशक तथा स्थायी विशेष आमंत्रिति के रूप में एमडी और सीईओ के साथ शामिल हैं। वर्ष 2017-18 के दौरान लेखापरीक्षा समिति की निम्न चार (04) बैठकें आयोजित हुई।

प्रथम लेखापरीक्षा समिति	द्वितीय लेखापरीक्षा समिति	तृतीय लेखापरीक्षा समिति	चतुर्थ लेखापरीक्षा समिति
13 सितंबर, 2017	04 अक्टूबर, 2017	01 दिसंबर 2017	20 फरवरी, 2018

लेखापरीक्षा समिति के संदर्भ की शर्तें कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 के अनुसार हैं। तथ्यों के साथ कार्यों की कुछ सूची निम्न है :

1. कंपनी के लेखा परीक्षकों के पारिश्रमिक के लिए सिफारिशें;
2. लेखा परीक्षकों की स्वतंत्रता और प्रदर्शन, और लेखा परीक्षा प्रक्रिया की प्रभावशीलता की समीक्षा और निगरानी;
3. वित्तीय विवरणों और उस पर लेखा परीक्षक के रिपोर्ट का परीक्षण;
4. संबंधित पक्षों के साथ कंपनी के लेनदेन की मँजूरी या कोई संशोधन;
5. अंतर–कॉर्पोरेट ऋणों और निवेशों की संवीक्षा;
6. जहाँ भी आवश्यक माना जाए, कंपनी के उपक्रमों या परिसंपत्तियों का मूल्याँकन;
7. आंतरिक वित्तीय नियंत्रण और जोखिम प्रबंधन प्रणाली का मूल्यांकन;
8. सार्वजनिक प्रस्तावों के माध्यम से जुटाए गए धन के अंतिम उपयोग और संबंधित मामलों की निगरानी।
9. कोई अन्य उत्तरदायित्व जैसा कि समय–समय पर बोर्ड द्वारा समानुदेशित किया जा सकता है।

निगरानी प्रणाली

कंपनी में व्हिस्ल ब्लोअर नीति के अनुरुप में निगरानी प्रणाली विद्यमान है। इसका उद्देश्य कर्मचारियों को शिकायतें उठाने और की गई किसी भी कार्रवाई पर प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए मार्ग प्रदान करना है और कर्मचारियों को आश्वस्त करना है कि अत्याचार के विरूद्ध और सद्विश्वास से उनके द्वारा किए गए किसी भी व्हिस्ल ब्लोइंग के लिए उनकी सुरक्षा की जाएगी। इस नीति का उद्देश्य कंपनी के कर्मचारियों को किसी समस्या को नजरअंदाज करने या उसे बाहरी रूप से संभालने के बजाय संगठन के भीतर गंभीर चिंताओं को उठाने के लिए

प्रोत्साहित करना है।

कंपनी उदारता, ईमानदारी और उत्तरदायित्व के उच्चतम संभव मानकों के प्रति प्रतिबद्ध है. इसमें सद्विश्वास से कोई भी चिंता उठाकर निगरानी प्रणाली का उपयोग करने वाले किसी भी व्यक्ति की रक्षा करने के लिए रक्षोपाय शामिल है। कंपनी व्हिस्ल ब्लोअर की पहचान गोपनीय रखती है, यदि व्हिस्ल ब्लोअर की ऐसी इच्छा होती है। हालांकि व्हिस्ल ब्लोअर को अनुशासनात्मक सुनवाई या कार्यवाही में भाग लेने की आवश्यकता होती है जैसा कि शिकायत की जाँच के लिए आवश्यक हो सकता है। यह तंत्र विस्तृत शिकायत और जाँच प्रक्रिया प्रदान करता है।

परिस्थितियों के अनुसार कर्मचारी द्वारा सीधे लेखा परीक्षा समिति के अध्यक्ष से शिकायत की जा सकती है। कंपनी अपने कर्मचारियों को प्रबंध निदेशक तक सीधी पहुँच रखने के लिए मंच भी प्रदान करती है। उल्लंघनों की सूचना देने वाले लोगों की गोपनीयता बनाए रखी जाती है और उनके साथ कोई भेदभावपूर्ण व्यवहार नहीं किया जाता है।

जोखिम प्रबंधन समिति

कंपनी की जोखिम प्रबंधन समिति का गठन 28 जून, 2017 को किया गया था और इसमें दो स्वतंत्र निदेशक, एक नामित निदेशक, एमडी और सीईओ एवं विशेष आमंत्रिति के रूप में अग्रणी जोखिम और अनुपालन अधिकारी सम्मिलित हैं. कंपनी ने विधिवत जोखिम प्रबंधन नीति का कार्यान्वयन किया है। वर्ष 2017-18 के दौरान जोखिम प्रबंधन समिति की एक (01) बैठक आयोजित हुई।

प्रथम आरएमसी 20 फरवरी, 2018

नामांकन और पारिश्रमिक समिति

कंपनी की नामांकन और पारिश्रमिक समिति का गठन 28 जून, 2017 को किया गया था और इसमें दो स्वतंत्र निदेशक और एक नामित निदेशक सम्मिलित है. वर्ष 2017-18 के दौरान नामांकन और पारिश्रमिक समिति की एक (01) बैठक हुई थी।

प्रथम एनआरसी 12 दिसंबर, 2017

ग्राहक सेवा समिति

कंपनी की ग्राहक सेवा समिति का गठन 28 जून, 2017 को किया गया था और इसमें दो स्वतंत्र निदेशक, एक नामित निदेशक, एमडी और सीईओ एवं विशेष आमंत्रिति के रूप में प्रमुख ग्राहक सेवा अधिकारी सम्मिलित है। वर्ष 2017-18 के दौरान जोखिम प्रबंधन समिति की दो (02) बैठकें हुई थीं।

प्रथम सीआरस 03 अक्तूबर, 2017	द्वितीय सीआरस 26 मार्च, 2018

भर्ती सलाहकार समिति

01 दिसंबर, 2017 को कंपनी की भर्ती सलाहकार समिति का गठन किया गया था और इसमें दो स्वतंत्र निदेशक, एक नामित निदेशक, एमडी और सीईओ एवं विशेष आमंत्रिति के रूप में मुख्य मानव संसाधन अधिकारी सम्मिलित है। वर्ष 2017-18 के दौरान भर्ती सलाहकार

समिति की दो (02) बैठकें आयोजित हुई।

प्रथम आरएसी	द्वितीय आरएसी
03 दिसंबर, 2017	07 फरवरी, 2018

हितधारक संबंध समिति

कंपनी की हितधारक संबंध समिति का गठन 28 जून, 2017 को किया गया था और इसमें एक स्वतंत्र निदेशक, एक नामित निदेशक और प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी शामिल हैं। वर्ष 2017-18 के दौरान समिती की कोई बैठक आयोजित नहीं हुई।

स्वतंत्र निदेशकों की घोषणा

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149(7) के अनुसार कंपनी को प्रत्येक स्वतंत्र निदेशक से आवश्यक घोषणा प्राप्त हुई है, कि वह कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149 के उपधारा (6) में यथा निर्धारित स्वतंत्रता के मानदंडो को पूरा करते है, और बोर्ड की राय में वे अधिनियम और इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों में उल्लेखित शर्तों को पूरा करते हैं और प्रबंधन से स्वतंत्र हैं।

कर्मचारियों के पारिश्रमिक के सम्बन्ध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 197 के साथ कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक) के नियम 5(2) के अन्तर्गत सूचना:-

सरकारी कंपनी होने के नाते आईपीपीबी पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 197 के प्रावधान और प्रासंगिक नियम भारत सरकार के कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी राजपत्र अधिसूचना दिनाँकित 05.06.2015 के आलोक में लागू नहीं होंगे। कार्यात्मक निदेशकों की नियुक्ति के नियम और शर्तें भारत सरकार द्वारा किये जाते हैं। आईपीपीबी के कंपनी सचिव व केएमपी का वेतन, की नियुक्ति के नियम और शर्तें, कंपनी द्वारा निर्धारित मापदंडों के अनुरूप हैं।

बोर्ड द्वारा किए गए अपने स्वयं के प्रदर्शन, अपनी समितियों और अलग-अलग निदेशकों के प्रदर्शन के औपचारिक वार्षिक मूल्यांकन के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत धारा 134(3)(पी) के अंतर्गत विवरण

सरकारी कंपनी होने के नाते आईपीपीबी पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3)(पी) के प्रावधान और प्रासंगिक नियम भारत सरकार के कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी राजपत्र अधिसूचना दिनाँकित 05.06.2015 के आलोक में लागू नहीं होंगे।

संबंधित पक्ष लेनदेन

वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा किया गया कोई भी संबंधित पक्ष अनुबंध, व्यवस्था या लेन-देन नहीं हैं और इसलिए फॉर्म एओसी 2 में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 188 की उपधारा (1) में संदर्भित पक्षों के साथ कंपनी द्वारा किए गए अनुबंधों/व्यवस्थाओं के विवरणों का प्रकटीकरण नहीं है।

होल्डिंग और सहायक कंपनी

कोई होल्डिंग या सहायक कंपनी नहीं है।

कंपनी की प्राधिकृत और चुकता शेयर पूँजी में परिवर्तन

(I) प्राधिकृत पूँजी : रु. 10/- के 1,00,00,00,000 इक्विटी अंश

(II) चुकता पूँजी: रु. 10/- के 27,50,00,000 इक्विटी अंश

इक्विटी शेयरों का अधिकार

कंपनी ने शेयरधारकों की वर्तमान शेयरधारिता के अनुपात में वर्तमान शेयरधारक, डाक सचिव के माध्यम से भारत के राष्ट्रपति को 15,00,00,000 इक्विटी शेयरों का राइट इश्यू किया है।

वार्षिक विवरण का उद्धरण

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 92 की उपधारा (3) के अनुसार, 31 मार्च, 2018 को फॉर्म एमजीटी 9 में वार्षिक विवरण का उद्धरण जो इस रिपोर्ट का भाग है और इस रिपोर्ट के अनुलग्नक के रूप में संलग्न है।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 186 के अंतर्गत ऋणों, गारंटियों या किए गए निवेश का विवरण

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 186 के अंतर्गत निर्दिष्ट सीमा से अधिक ऋण, गारंटी या कंपनी द्वारा कोई निवेश नहीं किया गया था और इसलिए, उक्त प्रावधान लागू नहीं होता है।

कंपनी की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण परिवर्तन और प्रतिबद्धताएँ

इस रिपोर्ट की अवधि के दौरान कंपनी की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करने वाला कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं हुआ है और प्रतिबद्धताएँ नहीं हैं।

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

आपकी कंपनी ने सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम, 2005 के अंतर्गत प्राप्त अनुरोधों से निपटने के लिए पूरे संगठन में विस्तृत तंत्र स्थापित किया है। सूचना प्राप्त करने में नागरिकों की सहायता और सुविधा के लिए, जानकारी तक पहुँच प्राप्त करने और अधिनियम के अंतर्गत पहली अपील दाखिल करने की प्रक्रिया समझाते हुए, आईपीपीबी की वेबसाइट पर विस्तृत दिशानिर्देश दिए गए हैं. अधिनियम की धारा 4 (1) (बी) के अनुरूप आईपीपीबी की वेबसाइट पर विभिन्न श्रेणियों की सूचना उपलब्ध करते हुए सक्रिय प्रतिक्रियाएँ दी गई हैं, ताकि नागरिकों को सूचना प्राप्त करने के उद्देश्य से अधिनियम का कम से कम सहारा लेने की आवश्यकता हो।

राजभाषा (आधिकारिक भाषा)

आपकी कंपनी आधिकारिक भाषा (राजभाषा हिंदी) को प्रचारित-प्रसारित और प्रोत्साहित करने का संगठित प्रयास कर रही है। भारत सरकार की आधिकारिक भाषा नीति/अधिनियम/नियम/आदेश का अनुपालन करते हुए, आधिकारिक कार्यों में हिंदी का उपयोग बढ़ाने के प्रयास जारी हैं। वर्ष के दौरान इस संबंध में उठाए गए कुछ महत्वपूर्ण कदम: दिन-प्रतिदिन के आधिकारिक पत्राचार में हिंदी के उपयोग में वृद्धि करने के लिए कंपनी में हिंदी पखवाड़ा का आयोजन किया गया ताकि लेखन में सरल और बोलचाल के शब्दों का उपयोग किया जाए। कंपनी हिंदी में भी अपनी वेबसाइट लॉन्च करने की प्रक्रिया में है।

आंतरिक वित्तिय नियंत्रणों की पर्याप्तता के संबंध में कंपनी (लेखा) नियम, 2014 की धारा 8(5)(viii) के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 (3) (क्यू) के अंतर्गत जानकारी

कंपनी की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली को परिचालन दक्षता, संसाधनों की सुरक्षा और संरक्षण, वित्तीय रिपोर्ट की सटीकता और तत्परता और कानूनों और विनियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए तैयार किया गया है. आंतरिक नियंत्रण प्रणाली कंपनी के आंतरिक नियंत्रणों की पर्याप्तता और प्रभावकारिता की समीक्षा करने के लिए आंतरिक लेखा परीक्षा प्रक्रिया द्वारा समर्थित है, जिसमें

इसकी प्रणाली और प्रक्रियाएँ और नियमों और प्रक्रियाओं का अनुपालन शामिल है. प्रबंधन के साथ आंतरिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट पर चर्चा की जाती है।

निदेशक द्वारा सांविधिक प्रकटीकरण :

आपकी कंपनी का कोई भी निदेशक कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 164 के प्रावधानों के अनुसार अनर्ह नहीं है। आपके निदेशकों ने कंपनी अधिनियम, 2013 के विभिन्न प्रावधानों के अंतर्गत यथा आवश्यक, प्रकटीकरण किए हैं।

जोखिम प्रबंधन

कंपनी की जोखिम प्रबंधन नीति है जिसका लक्ष्य जोखिम और प्रतिफल के बीच संतुलन कायम रखना है। इसमें कंपनी के कारोबार में जोखिमों की पहचान, मापन और प्रबंधन शामिल है। नीति के अनुसार सतत आधार पर निगरानी करने के साथ सुधारात्मक कार्रवाई की जाती है।

औद्योगिक संबंध

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, प्रबंधन और कामगारों के बीच संबंध अत्यधिक सौहार्दपूर्ण थे। मानव संसाधन पहल जैसे – कौशल उन्नयन, प्रशिक्षण एवं उत्पादकता सुधार कंपनी के कर्मचारियों के विकास हेतु महत्त्वपूर्ण केन्द्र बिन्दु थे।

कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के अंतर्गत प्रकटीकरण

कंपनी स्वस्थ वातावरण प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है और इस प्रकार किसी भी रूप में किसी भी भेदभाव और/या उत्पीड़न को बर्दाश्त नहीं करती है। कंपनी ने कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 की आवश्यकताओं के अनुरूप यौन उत्पीड़न विरोधी नीति अपनाई है. यौन उत्पीड़न के संबंध में प्राप्त शिकायतों का समाधान करने के लिए आंतरिक शिकायत समिति की स्थापना की गई है। इस नीति के अंतर्गत सभी महिला कर्मचारी (स्थायी, संविदात्मक, अस्थायी, प्रशिक्षु) सम्मिलित हैं। वर्ष 2017-18 के दौरान, कंपनी द्वारा कोई शिकायत प्राप्त नहीं की गई थी।

आपके निदेशक पुन: कहते हैं कि समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के अनुसार कोई मामला दर्ज नहीं किया गया था।

अभिस्वीकृति

निदेशक मंडल, भारत सरकार, विशेष रूप से संचार मंत्रालय (डाक विभाग), वित्तीय संस्थानों, बैंकों, ग्राहकों और अन्य सभी हितधारकों से मिले सहयोग के लिए आभार व्यक्त करती है। निदेशक मंडल सीएजी और सांविधिक लेखा परीक्षकों, साचिविय लेखा परीक्षकों से मिले मूल्यवान सहयोग धन्यवाद के साथ अभिस्वीकृत करती है। निदेशकगण हर कर्मचारी के मूल्यवान योगदान, कड़ी मेहनत और समर्पण के लिए धन्यवाद देना चाहती हैं। बोर्ड आश्वस्त है कि कर्मचारियों के निरंतर और समर्पित प्रयासों से, आपकी कंपनी नई चुनौतियों का सामना

करने और बेहतर प्रदर्शन करने में सक्षम होगी।

कृते और निदेशक मंडल की ओर से

	Sd/-	Sd/-
स्थान : नई दिल्ली	ए.एन. नंदा	सुरेश सेठी
दिनाँक : 05.12.2018	अध्यक्ष	प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी
	डीआईएन–07810425	डीआईएन-06426040
	सी-1 ब्लॉक 6,	सी/901, लोढा बेल्लिस्सिमो,
	नई मोती बाग,	अपोलो मिल्स कंपाउंड
	नई दिल्ली	एनएम जोशी मार्ग,
		महालक्ष्मी, मुंबई

फॉर्म सं. एमजीटी 9

वार्षिक विवरण का उद्धरण

31 मार्च, 2018 को समाप्त वित्तीय वर्ष के अनुसार,

[कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 92(3) और **कंपनियाँ (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014** के नियम 12 (1) के अनुसार]

I **पँजीकरण और अन्य विवरण**

i) सीआईएन	U74999DL2016GOI304561
ii) पँजीकरण तिथि	17 अगस्त, 2016
iii) कंपनी का नाम	इंडिया पोस्ट पेमेन्ट्स बैंक लिमिटेड
iv) कंपनी की श्रेणी/उप–श्रेणी	अंशों द्वारा सीमित कंपनी/संघ सरकार की कंपनी
v) पँजीकृत कार्यालय का पता और संपर्क विवरण	पोस्ट ऑफिस, स्पीड पोस्ट सेंटर बिल्डिंग, मार्केट रोड, नई दिल्ली – 110001
vi) क्याी सूचीबद्ध कंपनी है	नहीं

II. कंपनी की प्रमुख कारोबारी गतिविधियाँ

कंपनी के कुल कारोबार का 10% या उससे अधिक का योगदान देने वाली सभी व्यावसायिक गतिविधियाँ बताई जाएंगी :–

अनु. क्र.	मुख्य उत्पादों/ सेवाओं का नाम और विवरण	उत्पाद/सेवा का एनआईसी कोड	कंपनी के कुल कारोबार का %
1	पेमेन्ट बैंक	समूह 649	100%

III. होल्डिंग, सहायक और एसोसिएट कंपनियों का विवरण

अनु. क्र.	कंपनी का नाम और पता	सीआईएन/ जीएलएन	होल्डिंग/सहायक/एसोसिएट	धारित अंशों का %	लागू धारा
1	लागू नहीं	समूह 649	100%		

V. शेयर धारिता प्रतिरूप (कुल इक्विटी के प्रतिशत के रूप में विसर्जित इक्विटी शेयर पूँजी)

i. श्रेणीवार शेयर धारिता

शेयरधारकों की श्रेणी	वर्ष की आरंभ में धारित शेयरों की संख्या	वर्ष के अंत में धारित शेयरों की संख्या	वर्ष के दौरान % परिवर्तन

	डीमैट	भौतिक	कुल	कुल अंशों का %	डीमैट	भौतिक	कुल	कुल अंशों का %	
ए. प्रवर्तक									
(1) भारतीय	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ए) व्यक्ति/ एचयूएफ (भारत के राष्ट्रपति का नामिति)	-	6	6	.01%	-	6	6	.01%	-
बी) केंद्र सरकार राज्य सरकार (सरकारें)		274999994	274999994	99.99%	-	399999994	399999994	99.99%	-
सी) निगम निकाय	-	-	-	-	-	-	-	-	-
डी) बैंक/एफआई	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ई) अन्य	-	-	-	-	-	-	-	-	-
उप–योग (ए) (1):-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(2) विदेशी	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ए) एनआरआई – व्यक्ति	-	-	-	-	-	-	-	-	-
बी) अन्य – व्यक्ति	-	-	-	-	-	-	-	-	-
सी) निगम निकाय	-	-	-	-	-	-	-	-	-
डी) बैंक/एफआई	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ई) कोई अन्य	-	-	-	-	-	-	-	-	-
उप–योग (ए) (2):-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
संपूर्ण प्रवर्तक की कुल शेयरधारिता (ए) = (ए) (1) + (ए) (2)		27,50,00,000	27,50,00,000	100	-	40,00,00,000	40,00,00,000	100	-
बी. सार्वजनिक अंशधारिता	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. संस्थान	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ए) म्यूचुअल फंड	-	-	-	-	-	-	-	-	-
बी) बैंक/एफआई	-	-	-	-	-	-	-	-	-

सी) केंद्र सरकार/ राज्य सरकार (सरकारें)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
डी) जोखिम पूँजी निधि	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ई) बीमा कंपनियाँ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
एफ) एफआईआई	-	-	-	-	-	-	-	-	-
जी) विदेशी जोखिम	-	-	-	-	-	-	-	-	-
पूँजी निधि	-	-	-	-	-	-	-	-	-
i) अन्य	-	-	-	-	-	-	-	-	-
उप–योग (बी) (1):-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. गैर–संस्थान	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ए) निगम निकाय	-	-	-	-	-	-	-	-	-
बी) व्यक्ति	-	-	-	-	-	-	-	-	-
i) रु. 1 लाख तक नामित शेयर पूँजी धारण करने वाले व्यक्तिगत* शेयरधारक ii) रु. 1 लाख तक नामित शेयर पूँजी धारण करने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c) अन्य	-	-	-	-	-	-	-	-	-
i) विदेश ii) निगम निकाय	-	-	-	-	-	-	-	-	-
iii) निदेशक	-	-	-	-	-	-	-	-	-
iv) अनिवासी भारतीय	-	-	-	-	-	-	-	-	-
v) विदेशी निगम निकाय	-	-	-	-	-	-	-	-	-
vi) समाशोधन सदस्य	-	-	-	-	-	-	-	-	-
vii) न्यास	-	-	-	-	-	-	-	-	-
उप–योग (बी) (2):-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

कुल सार्वजनिक शेयरधारिता (बी) = (बी) (1) + (बी) (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
सी. जीडीआर और एडीआर के लिए अभिरक्षक द्वारा धारित शेयर	-	-	-	-	-	-	-	-	-
कुल योग (ए + बी + सी)		**27,50,00,000**	**27,50,00,000**	**100**	-	**40,00,00,000**	**40,00,00,000**	100	-

*भारत के राष्ट्रपति के नामिति के रूप में 01–01 शेयर धारित करने वाले 6 व्यक्ति हैं

ii. प्रवर्तकों की शेयरधारिता (इक्विटी)

इक्विटी

अनु. क्र.	**शेयरधारक का नाम**	**वर्ष की आरंभ में शेयरधारिता**			**वर्ष के अंत में शेयरधारिता**			
		शेयरों की संख्या	**कंपनी के कुल शेयरों का %**	**कुल शेयरों में बंधक रखे गए/ ऋणग्रस्त शेयरों का %**	**शेयरों की संख्या**	**कंपनी के कुल शेयरों का %**	**कुल शेयरों में बंधक रखे गए/ ऋणग्रस्त शेयरों का %**	**वर्ष के दौरान शेयर धारिता में % परिवर्तन**
1	डाक सचिव के माध्यम से भारत के राष्ट्रपति	27,49,99,994	100	-	39,99,99,994*	100	-	-
2	मधुमिता गुड्डुलुरु दास (भारत के राष्ट्रपति की नामिति)	1	0.000	-	1	0.000	-	-
3	नीलम संघी (भारत के राष्ट्रपति के नामिति)	1	0.000	-	1	0.000	-	-
4	अजय कुमार रॉय (भारत के राष्ट्रपति के नामिति)	1	0.000	-	1	0.000	-	-
5	ऊषा चंद्र शेखर (भारत के राष्ट्रपति की नामिति)	1	0.000	-	1	0.000	-	-
6	बी.पी. श्रीदेवी (भारत के राष्ट्रपति की नामिति)	1	0.000	-	1	0.000	-	-
7	सचिन किशोर (भारत के राष्ट्रपति के नामिति)	1	0.000	-	1	0.000	-	-
	कुलयोग	**27,50,00,000**	100	-	**40,00,00,000**	**100**	-	-

*भारत के राष्ट्रपति के नामितियों द्वारा धारित 06 इक्विटी शेयर शामिल हैं

iii. प्रवर्तकों की शेयरधारिता में परिवर्तन (यदि कोई परिवर्तन नहीं है तो कृपया उल्लेख करें) :

अनु. क्र.		वर्ष के आरंभ में शेयरधारिता		वर्ष के दौरान संचयी शेयरधारिता	
	प्रत्येक शीर्ष 10 शेयरधारकों के लिए	**शेयरों की संख्या**	**कंपनी के कुल शेयरों की संख्या का %**	**शेयरों की संख्या**	**कंपनी के कुल शेयरों की संख्या का %**
1	वर्ष के आरंभ में	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
2	वृद्धि/कमी के कारणों (उदाहरण आवंटन/ अन्तरण/बोनस/उद्यम इक्विटी आदि) को निर्दिष्ट करते हुए वर्ष के दौरान शेयरधारिता में तिथिवार वृद्धि/कमी :	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
3	वर्ष के अंत में (या अलगाव की तिथि पर, यदि वर्ष के दौरान अलग हुए)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

v. निदेशकों और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों की शेयरधारिता :

अनु. क्र.		**वर्ष के आरंभ में अंशधारिता**		**वर्ष के दौरान संचयी शेयरधारिता**	
	मधुमिता जी. दास	**अंशों की संख्या**	**कंपनी के कुल अंशों की संख्या का %**	**अंशों की संख्या**	**कंपनी के कुल अंशों की संख्या का %**
1	वर्ष के आरंभ में	01	.01%	-	-
	वृद्धि/कमी के कारणों (उदाहरण आवंटन/ अन्तरण/बोनस/उद्यम इक्विटी आदि) को निर्दिष्ट करते हुए वर्ष के दौरान शेयरधारिता में तिथिवार वृद्धि/कमी :	-	-	-	-
	वर्ष के अंत में (या अलगाव की तिथि पर, यदि वर्ष के दौरान अलग हुए)	01	.01%	-	-

V. ऋणग्रस्तता

बकाया/अर्जित लेकिन भुगतान के लिए देय नहीं ब्याज सहित कंपनी की ऋणग्रस्तता

	जमाओं को छोड़कर सुरक्षित ऋण	**असुरक्षित ऋण**	**जमाएँ**	**कुल ऋणग्रस्तता**

वित्तीय वर्ष की आरंभ में ऋणग्रस्तता i) मूलधन ii) देय लेकिन भुगतान नहीं किया गया ब्याज iii) अर्जित ब्याज लेकिन देय नहीं	- - -	- - -	- - -	- - -
कुलयोग (i+ii+iii)	-	-	-	-
वित्तीय वर्ष के दौरान ऋणग्रस्तता में परिवर्तन • वृद्धि • कमी	-	-	-	-
शुद्ध परिवर्तन	-	-	-	-
वित्तीय वर्ष के अंत में ऋणग्रस्तता i) मूलधन ii) देय लेकिन भुगतान नहीं किया गया ब्याज iii) अर्जित ब्याज लेकिन देय नहीं	-	-	-	-
कुलयोग (i+ii+iii)	-	-	-	-

VI. प्रबंध निदेशक, पूर्णकालिक निदेशकों और/या प्रबंधक का पारिश्रमिक :

अनु. क्र.	पारिश्रमिक का विवरण	एमडी/डब्ल्यूटीआई/ प्रबंधक का नाम	कुल राशि
1	सकल वेतन (ए) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(1) में निहित प्रा–वधानों के अनुसार वेतन (बी) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(2) के अंतर्गत अतिरिक्त सुविधाओं का मूल्य (सी) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(3) वेतन के बदले लाभ	श्री सुरेश सेठी	**27.67 लाख रुपये**
2	स्टॉक विकल्प	-	-
3	उद्यम इक्विटी	-	-
4	कमीशन - लाभ के % के रूप में - अन्य, उल्लेख करें...	-	-
5	अन्य, कृपया उल्लेख करें (प्रदर्शन प्रोत्साहन)	-	-

बी. अन्य निदेशकों का पारिश्रमिक (31/3/2018 को)

अनु. क्र.	पारिश्रमिक का विवरण	एमडी/डब्ल्यूटीआई/प्रबंधक का नाम			कुल राशि (रु.)		
1	स्वतंत्र निदेशक	श्री गौरी शंकर	डॉ के.जी. कर्माकर	श्री विष्णु दुसाद	श्री पी. सतीश	सुश्री सुषमा नाथ	

	• बोर्ड/समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए शुल्क • कमीशन • अन्य, कृपया उल्लेख करें	रु. 2,20,000/- प्लस जीएसटी - -	रु. 2,40,000/- प्लस जीएसटी - -	रु. 20,000/- प्लस जीएसटी - -	रु. 20,000/- प्लस जीएसटी - -	रु. 20,000/- प्लस जीएसटी - -	रु. 5,20,000/- प्लस जीएसटी - -
	कुल (1)	2,20,000	2,40,000	20000	20000	20000	5,20,000
2	अन्य गैर–कार्यकारी निदेशक	श्री ए.एन. नंदा	सुश्री मधुमिता जी. दास	श्री संदीप दवे	श्री अंशुमान शर्मा	श्री संदीप दवे	-
	• बोर्ड/समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए शुल्क • कमीशन • अन्य, कृपया उल्लेख करें	-	-	-	-	-	-
	कुल (2)	-	-	-	-	-	-
	कुल (बी) = (1 + 2)	-	-	-	-	-	-
	कुल प्रबंधकीय पारिश्रमिक	-	-	-	-	-	-
	अधिनियम के अनुसार सब मिलाकर अधिकतम सीमा	-	-	-	-	-	-

सी. एमडी/प्रबंधक/डब्ल्यूटीआई से भिन्न प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों का पारिश्रमिक

अनु. क्र.	पारिश्रमिक का विवरण	प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक			
		सीईओ	कंपनी सचिव	सीएफओ	कुल
1	सकल वेतन (ए) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(1) में निहित प्रावधानों के अनुसार वेतन (बी) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(2) के अंतर्गत अतिरिक्त सुविधाओं का मूल्य (सी) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(3) वेतन के बदले लाभ	- - -	8.79 लाख प्रति वर्ष	23.68 लाख प्रति वर्ष	- -
2	स्टॉक विकल्प	-	-	-	-
3	उद्यम इक्विटी	-	-	-	-
4	कमीशन – लाभ के % के रूप में – अन्य, उल्ले ख करें...	-	-	-	-
5	अन्य, कृपया उल्लेख करें (प्रदर्शन प्रोत्साहन)	-	-	-	-

VII. अर्थदंड/दंड/अपराधों का प्रशमन : शून्य

प्रकार	कंपनी अधिनियम की धारा	संक्षिप्त विवरण	अर्थदंड/दंड/आरोपित प्रशमन शुल्क	प्राधिकरण आरडी/ एनसीएलटी/ न्यायालय	की गई अपील, यदि कोई हो (विवरण दें)

ए. कंपनी	-	-	-	-	-
अर्थदंड	-	-	-	-	-
दंड	-	-	-	-	-
प्रशमन	-	-	-	-	-
बी. निदेशक	-	-	-	-	-
अर्थदंड	-	-	-	-	-
दंड	-	-	-	-	-
प्रशमन	-	-	-	-	-
सी. अधिकारियों द्वारा अन्य चूक	-	-	-	-	-
अर्थदंड	-	-	-	-	-
दंड	-	-	-	-	-
प्रशमन	-	-	-	-	-

कृते और निदेशक मंडल की ओर से

Sd/-
ए.एन. नंदा
अध्य.क्ष
डीआईएन- 07810425

सी –1 ब्लॉक 6,
नई मोती बाग,
नई दिल्ली

Sd/-
सुरेश सेठी
प्रबंध निदेशक व सीईओ
डीआईएन- 06426040

सी/901, लोढा बेल्लिस्सिमो,
अपोलो मिल्स कंपाउंड
एनएम जोशी मार्ग,
महालक्ष्मी, मुंबई

स्थान : दिल्ली
दिनाँक : 05.12.2018

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 की उपधारा 3 के खंड (एम) और कंपनियाँ (लेखा) नियम, 2014 के नियम 8(3) के अनुसार

(ए) ऊर्जा का संरक्षण :

ऊर्जा संरक्षण के लिए उठाए गए कदम	कुशल ऊर्जा उपकरणों की स्थापना
वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों के उपयोग के लिए उठाए गए कदम	कंपनी के पास कोई वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत नहीं है
ऊर्जा संरक्षण पर पूँजीगत निवेश	ऊर्जा की खपत कम करने के लिए, जब भी आवश्यक समझा जाता है, समय–समय पर निवेश पर विचार किया जाता है

(बी) तकनीकी समावेश :

(i) तकनीकी समावेश की दिशा में किए गए प्रयास : शून्य

(ii) उत्पाद सुधार, लागत कटौती, उत्पाद विकास या आयात प्रतिस्थापन जैसे व्युत्पन्न लाभ : शून्य

(iii) आयातित प्रौद्योगिकी के मामले में (वित्तीय वर्ष की आरंभ से परिगणित पिछले तीन वर्षों के दौरान आयातित प्राद्योगिकी): लागू नहीं

(ए) आयातित प्रौद्योगिकी का विवरण

(बी) आयात का वर्ष

(सी) क्या तकनीक पूरी तरह से समावेशी है

(डी) यदि पूरी तरह से समावेशित नहीं की गई है, तो जहाँ समावेशित नहीं हुआ है वे क्षेत्र, और इसका कारण; तथा

(iv) अनुसंधान और विकास पर किया गया व्यय: शून्य

(सी) विदेशी मुद्रा अर्जन और निर्गम :

प्रयुक्त विदेशी मुद्रा: रु. शून्य

अर्जित विदेशी मुद्रा: रु. शून्य

वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए सांविधिक लेखा परीक्षक/सीएजी की लेखा परीक्षा की टिप्पणियों का प्रबंधन का प्रत्युत्तर

अनु. क्र.	टिप्पणियाँ/आलोचनाएँ	प्रबंधन का उत्तर
01	कंपनी ने स्थायी परिसंपत्तियों का भौतिक सत्यापन नहीं किया है। अभिलेख में परिसंपत्तियों के स्थानों का भी उल्लेख नहीं किया गया है. इस प्रकार संगठन का आंतरिक नियंत्रण कमजोर है,	भौतिक स्थायी परिसम्पत्तियों के रख–रखाव के सम्बन्ध में आई.टी. विभाग द्वारा आई.टी परिसंपत्तियों का एवं गैर आई. टी. परिसंपत्तियों का रख–रखाव मानव संसाधन/प्रशासनिक, विभाग द्वारा सुधारात्मक कार्रवाई के रुप में रख–रखाव प्रारम्भ की गई है। (सम्बन्धित विभाग)

साचिविक लेखा परीक्षा रिपोर्ट

31 मार्च, 2017 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए

[कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204(1) और कंपनी (नियुक्ति और पारिश्रमिक कार्मिक) नियम, 2014 के नियम संख्या 9 के अनुसार]

सेवा में,
सदस्यगण
इंडिया पोस्ट पेमेन्ट्स बैंक लिमिटेड
पोस्ट ऑफिस, स्पीड पोस्ट सेंटर बिल्डिंग
मार्केट रोड नई दिल्ली–110001

हमने इंडिया पोस्ट पेमेन्ट्स बैंक लिमिटेड (इसके बाद 'कंपनी' कहा गया है) द्वारा लागू सांविधिक प्रावधानों के अनुपालन और अच्छी कॉर्पोरेट प्रथाओं के अनुपालन की साचिविक लेखापरीक्षा किया है। साचिविक लेखापरीक्षा इस प्रकार की गई थी कि जिसने हमें कॉर्पोरेट आचरण/सांविधिक अनुपालन का मूल्यांकन करने और उस पर अपनी राय व्यक्त करने का उचित आधार प्रदान किया।

साचिविक अनुपालन के लिए प्रबंधन का उत्तरदायित्व
कंपनी का प्रबंधन साचिविक अभिलेखों के विरचन और अनुरक्षण और लागू कानूनों और विनियमों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रणाली तैयार करने के लिए ज़िम्मेदार है।

लेखा परीक्षक का उत्तरदायित्व
हमारी ज़िम्मेदारी साचिविक अभिलेखों, मानकों और साचिविक अनुपालन के संबंध में कंपनी द्वारा अनुसरित प्रक्रियाओं पर राय व्यक्त करना है।

हमारा मानना है कि कंपनी के प्रबंधन से प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य और जानकारी हमारे विचार के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उचित हैं।

हमने निम्नलिखित के प्रावधानों के अनुसार 31 मार्च, 2017 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिए इंडिया पोस्ट पेमेन्ट्स बैंक लिमिटेड द्वारा रखी गई पुस्तकों, कागजातों, कार्यवृत्त पुस्तिकाओं, प्रपत्रों और विवरणों और अन्य अभिलेखों की जाँच की है :

(i) कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) और यथा लागू, इसके अंतर्गत बनाए गए नियम;
(ii) प्रतिभूति अनुबंध (विनियमन) अधिनियम, 1956 ('एससीआरए') और इसके अंतर्गत बनाए गए नियम; (लेखापरीक्षा अवधि के दौरान लागू नहीं)
(iii) निक्षेपागार अधिनियम, 1996 और इसके अंतर्गत बनाए गए विनियमन और उप–विधियाँ; (लेखापरीक्षा अवधि के दौरान लागू नहीं)
(iv) विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 और इसके अंतर्गत विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, समुद्रपारीय प्रत्यक्ष निवेश और बाह्य वाणिज्यिक उधारियों की सीमा तक बनाए गए नियम और विनियम; (लेखापरीक्षा अवधि के दौरान लागू नहीं)
(v) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 ('सेबी अधिनियम') के अंतर्गत विहित विनियम और दिशानिर्देश, नामत:– (लेखापरीक्षा अवधि के दौरान लागू नहीं)

(ए) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (अंशों का संपूर्ण अधिग्रहण और नियंत्रण अधिग्रहण) विनियम, 2011;
(बी) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (इन्साइडर ट्रेडिंग का निषेध) विनियम, 1992;
(सी) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (पूँजी का निर्गमन और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2009;
(डी) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (कर्मचारी स्टॉक विकल्प योजना और कर्मचारी स्टॉक खरीद योजना) दिशानिर्देश, 1999:
(ई) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (ऋण प्रतिभूतियों का निर्गमन और सूचीबद्धता) विनियम, 2008;
(एफ) कंपनी अधिनियम और ग्राहक से व्यवहार करने के संबंध में भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (निर्गम का रजिस्ट्रार और अंश हस्तांतरण एजेंट) विनियमन, 1993
(जी) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (इक्विटी अंशों का असूचीयन) विनियम, 2009;
(एच) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (प्रतिभूतियों की पुनर्खरीद) विनियम, 1998;

(vi) प्रबंधन ने विशेष रूप से कंपनी के लिए लागू होने वाले निम्नलिखित कानूनों की पहचान और पुष्टि की है;

(a) बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949;

(b) भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियम और विनियम;

हमने 1 जुलाई, 2017 से प्रभावी होने वाले भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी किए गए निदेशक मंडल की बैठकों (एसएस–1) के संबंध में साचिविक मानकों के लागू खंडों के अनुपालन की भी जाँच की है।

हम रिपोर्ट करते हैं कि :

1. कंपनी के निदेशक मंडल का कार्यकारी निदेशकों, गैर–कार्यकारी निदेशकों, स्वतंत्र निदेशकों और महिला निदेशकों के उचित संतुलन के साथ विधिवत गठित किया गया है।
2. इस लेखापरीक्षा में कंपनी द्वारा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर कानूनों सहित लागू वित्तीय कानूनों और विषयों के अनुपालन की समीक्षा नहीं की गई है क्योंकि यह सांविधिक लेखा परीक्षक और अन्य पदनामित व्यावसायिकों द्वारा समीक्षा के अधीन है।
3. बोर्ड के सभी निर्णय सर्वसम्मति से लिए गए थे।
4. जहाँ आवश्यक था, कंपनी ने सभी आवश्यक अनुमोदन प्राप्त किया है।
5. कंपनी के लिए लागू होने वाले सभी विशिष्ट कानूनों का अनुपालन किया गया है।
6. कंपनी ने समीक्षाधीन अवधि के दौरान कंपनी रजिस्ट्रार/केंद्र सरकार के पास सभी आवश्यक प्रपत्र दाखिल किए हैं। कोई भी प्रपत्र क्षेत्रीय निदेशक 'ट्रिब्यूनल कोर्ट या अन्य प्राधिकरणों के पास दाखिल नहीं किया गया है।
7. समीक्षाधीन अवधि के दौरान कंपनी ने आम तौर पर अधिनियम के प्रावधानों, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों, मानकों इत्यादि का पालन किया है।

हम पुन: रिपोर्ट करते हैं

(i) कंपनी में निगरानी करने और लागू कानूनों, नियमों, विनियमों और दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कंपनी के आकार और परिचालन के अनुरूप पर्याप्त प्रणालियाँ और प्रक्रियाएँ हैं।

(ii) लेखापरीक्षा अवधि के दौरान कंपनी ने 8 नवंबर, 2016 को 10 रूपये के 15, 00, 00,000 इक्विटी अंश सचिव, डाक विभाग के माध्यम से भारत के राष्ट्रपति को आवंटित किए गए।

कृते साधना शर्मा और एसोसिएट्स
(कंपनी सचिव)
Sd/-
साधना शर्मा
(स्वामिनी)

सदस्यता संख्या : ए46639
सीओपी सं.: 17870

21 अगस्त, 2017, नई दिल्ली

ध्यान दें : यह रिपोर्ट सम तिथि के हमारे पत्र के साथ पढ़ा जाना चाहिए, जिसे अनुलग्नक ए के रूप में संलग्न किया गया है और जो इस रिपोर्ट का अभिन्न भाग है.

सेवा में,
सदस्यगण
इंडिया पोस्ट पेमेन्ट्स बैंक लिमिटेड
पोस्ट ऑफिस, स्पीड पोस्ट सेंटर बिल्डिंग
मार्केट रोड नई दिल्ली -110001

सम तिथि का हमारी रिपोर्ट इस पत्र के साथ पढ़ा जाना चाहिए।

1. साचिविक अभिलेख का रख–रखाव कंपनी के प्रबंधन की ज़िम्मेदारी है. हमारी ज़िम्मेदारी अपनी लेखापरीक्षा के आधार पर इन साचिविक अभिलेखों पर राय व्यक्त करना है।
2. हमने लेखा परीक्षा प्रथाओं और प्रक्रियाओं का पालन किया है जो कि साचिविक अभिलेखों की सामग्री की शुद्धता के संबंध में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए उचित थीं। यह सुनिश्चित करने के लिए सत्यापन परीक्षण आधार पर किया गया था कि साचिविक अभिलेखों में सही तथ्य परिलक्षित हों। हमारा मानना है कि हमने जिन प्रक्रियाओं और प्रथाओं का पालन किया वे हमारी राय के लिए उचित आधार प्रदान करते हैं।
3. हमने कंपनी के वित्तीय अभिलेखों और खाता–बहियों की शुद्धता और उपयुक्तता की पुष्टि नहीं की है।
4. जहाँ भी आवश्यक था, हमने कानूनों, नियमों और विनियमों के अनुपालन और घटनाओं के घटित होने आदि के संबंध में प्रबंधन का अभ्यावेदन प्राप्त किया है।
5. कॉर्पोरेट और अन्य लागू कानूनों, नियमों, विनियमों के प्रावधानों, मानकों का अनुपालन प्रबंधन की ज़िम्मेदारी है। हमारी परीक्षा परीक्षण आधार पर प्रक्रियाओं के सत्यापन तक ही सीमित थी।
6. साचिविक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन न तो कंपनी के भविष्य की व्यवहार्यता के संबंध में और न ही प्रभावकारिता या प्रभावशीलता के संबंध में आश्वासन है जिसके साथ प्रबंधन ने कंपनी के मामलों का संचालन किया है।

कृते साधना शर्मा और एसोसिएट्स
(कंपनी सचिव)
Sd/-
साधना शर्मा
(स्वामिनी)

सदस्यता सं. : ए46639
सीओपी सं. : 17870

21 अगस्त, 2017, नई दिल्ली

स्वतंत्र लेखा परीक्षक का रिपोर्ट

भारत के राष्ट्रपति

इंडिया पोस्ट पेमेन्ट्स बैंक लिमिटेड के लिए

स्वचलित वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा पर रिपोर्ट

स्वचलित वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा पर रिपोर्ट

हमने इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक लिमिटेड ('बैंक') की संलग्न स्वचलित वित्तीय विवरण की लेखा परीक्षा किया है जिसमें 31 मार्च 2018 तक तुलन–पत्र, तब समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि खाता और रोकड़ प्रवाह विवरण और महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों और अन्य स्पष्टीकारी जानकारी के सारांश सहित स्वचलित वित्तीय विवरण पर टिप्पणियाँ शामिल हैं।

स्वचलित वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन की उत्तरदायित्व:

बैंक का निदेशक मंडल इन स्वचलित वित्तीय विवरणों के विरचन के संबंध में कंपनी अधिनियम 2013 ('अधिनियम') की धारा 134(5) में उल्लेखित मामलों के लिए ज़िम्मेदार है जो कंपनी अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत निर्धारित लेखा मानकों, बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 29 के प्रावधानों और समय–समय पर भारतीय रिजर्व बैंक ('आरबीआई') द्वारा जारी किए गए परिपत्रों, दिशानिर्देशों और निर्देशों सहित भारत में सामान्यत: स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार बैंक के मामलों की स्थिति, लाभ और रोकड़ प्रवाह की सही और निष्पक्ष दृष्टि देते हैं।

इस उत्तरदायित्व में बैंक की परिसंपत्तियों की सुरक्षा करने और धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं की रोकथाम करने और उनकी पहचान करने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन अभिलेखों का अनुरक्षण; उचित लेखांकन नीतियों का चयन और अनुप्रयोग; उचित और विवेकपूर्ण निर्णय करना और अनुमान लगाना; और पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अभिकल्पना, कार्यान्वयन और अनुरक्षण शामिल है जो स्वचलित वित्तीय विवरणों के विरचन और प्रस्तुति के लिए प्रासंगिक लेखांकन अभिलेखों की सटीकता और पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से परिचालन कर रहे थे जो सही और निष्पक्ष दृष्टि प्रदान करते हैं और गलतबयानी से मुक्त हैं चाहे धोखाधड़ी के कारण हो या त्रुटि के कारण।

स्वचलित वित्तीय विवरण तैयार करने में प्रबंधन कार्यशील संस्था के रूप में बैंक की जारी रहने की क्षमता का आकलन करने, कार्यशील संस्था से संबंधित यथा लागू मामलों का प्रकटीकरण करने और लेखांकन के कार्यशील संस्था आधार का उपयोग करने के लिए ज़िम्मेदार है जब तक कि प्रबंधन या तो बैंक का परिसमापन करने या परिचालन बंद करने का इरादा न रखता हो या ऐसा करने के अलावा उसके के पास कोई यथार्थवादी विकल्प न हो।

लेखापरीक्षक का उत्तरदायित्व

हमारी ज़िम्मेदारी अपनी लेखा परीक्षा के आधार पर इन स्वचलित वित्तीय विवरणों पर विचार व्यक्त करना है।

हमने अधिनियम के प्रावधानों को लेखांकन और लेखा परीक्षा मानकों और अधिनियम के प्रावधानों और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अंतर्गत लेखापरीक्षा रिपोर्ट में शामिल किए जाने के लिए अपेक्षित मामलों का ध्यान रखा है।

हमने अधिनियम की धारा 143(10) के अंतर्गत निदिष्टि लेखांकन मानक ('मानकों') के अनुसार बैंक के स्वचलित वित्तीय विवरणों की अपनी लेखापरीक्षा किया है. उन मानकों की माँग है कि हम नीतिशास्त्रीय आवश्यकताओं का पालन करें और इस संबंध में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखापरीक्षा का नियोजन और निष्पादन करें कि क्या स्वचलित वित्तीय विवरण गलतबयानी से मुक्त हैं या नहीं।

लेखापरीक्षा में स्वचलित वित्तीय विवरणों में राशि और प्रकटीकरण के संबंध में लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रक्रियाएँ निष्पादित करना शामिल है। चयनित प्रक्रियाएँ लेखा परीक्षक के निर्णय पर निर्भर करती हैं जिसमें स्वचलित वित्तीय विवरणों की महत्वापूर्ण गलतबयानी के जोखिमों का आकलन शामिल है चाहे धोखाधड़ी के कारण हो या त्रुटि के कारण. उन जोखिमों का आकलन करने में लेखा परीक्षक द्वारा स्वचलित वित्तीय विवरणों की बैंक के विरचन के लिए प्रासंगिक आंतरिक नियंत्रण पर विचार किया जाता है जो परिस्थितियों में उचित लेखापरीक्षा प्रक्रियाएँ तैयार करने के लिए सही और निष्पक्ष दृष्टि प्रदान करते हैं। लेखापरीक्षा में उपयोग की जाने वाली लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और बैंक के निदेशकों द्वारा किए गए लेखांकन अनुमानों की तर्कसंगतता के मूल्यांकन के साथ–साथ स्वचलित वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति का मूल्यांकन करना भी शामिल होता है।

हम प्रबंधन के लेखांकन के कार्यशील संस्था आधार के उपयोग की उपयुक्तता पर और प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य के आधार पर निष्कर्ष निकालने के लिए भी जिम्मेदार हैं कि क्या उन घटनाओं या स्थितियों से संबंधित महत्वपूर्ण अनिश्चितताएँ विद्यमान है जो बैंक की कार्यशील संस्था आधार पर जारी रहने की क्षमता पर महत्वपूर्ण संदेह पैदा कर सकती हैं। यदि हम निष्कर्ष निकालते हैं कि महत्वपूर्ण अनिश्चितताएँ विद्यमान है तो हमें स्वचलित वित्तीय विवरणों में संबंधित प्रकटीकरणों की ओर या यदि ऐसे प्रकटीकरण हमारी विचार को संशोधित करने के लिए अपर्याप्त हैं तो लेखा परीक्षक के रिपोर्ट में ध्यान आकर्षित करना होगा. हमारे निष्कर्ष लेखा परीक्षक के रिपोर्ट की तिथि तक प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य पर आधारित हैं. हालांकि भविष्य की घटनाओं या स्थितियों से कोई इकाई कार्यशील संस्था के रूप में जारी रहना बंद हो सकती है।

हमारा मानना है कि हमने जो लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त किया है वह स्वचलित वित्तीय विवरणों पर हमारी लेखापरीक्षा राय के आधार के लिए पर्याप्त और उचित है।

विचार

हमारी विचार में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार उपर्युक्त स्वचलित वित्तीय विवरण बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 के साथ–साथ अधिनियम द्वारा आवश्यक जानकारी बैंकिंग कंपनियों के लिए इस प्रकार आवश्यक तरीके से प्रदान करते हैं और 31 मार्च, 2018 को आम तौर पर बैंक के मामलों और उक्त– तिथि को समाप्त वर्ष के लिए उसके लाभ और उसके नकदी प्रवाह की स्थिति की भारत में आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप सही और निष्पक्ष दृष्टि देते हैं।

i हमने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के अंतर्गत भारत के सीएजी द्वारा जारी किए गए निर्देशों के अनुसार 31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए इंडिया पोस्ट पेमेन्ट्स बैंक लिमिटेड के खातों का लेखा परीक्षा किया है और प्रमाणित करते हैं कि हमने हमें जारी किए गए सभी निर्देशों का पालन किया है।

हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के अभिलेखों की हमारी परीक्षा के आधार पर :

(ए) कंपनी के पास 31.03.2018 को क्रमशः फ्रीहोल्ड और लीजहोल्ड भूमि के लिए कोई स्वत्व विलेख/पट्टा विलेख नहीं है।

(बी) 31.03.2018 को ऋण/कर्ज/ब्याज इत्यादि की माफी/अपलेखन का कोई मामला नहीं है।

(सी) 31.03.2018 तक तीसरे पक्ष के पास पड़ा कोई स्टॉक नहीं है और 31.03.2018 तक सरकार या अन्य प्राधिकरणों से उपहार/अनुदान के रूप में कोई संपत्ति प्राप्त नहीं हुई है।

अन्य कानूनी और विनियामकीय आवश्यकताओं पर रिपोर्ट

तुलन–पत्र और लाभ और हानि खाता अधिनियम की धारा 133 के साथ पठित बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 29 के प्रावधानों के अनुसार तैयार किया गया है।

जैसा कि बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 30 की उपधारा (3) द्वारा आवश्यक है, हम रिपोर्ट करते हैं कि :

(ए) हमने सभी सूचनाएँ और स्पष्टीकरण प्राप्त किए हैं जो हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार हमारे लेखापरीक्षा के उद्देश्य के लिए लिए आवश्यक थे और उन्हें संतोषजनक पाया है;

(बी) हमारे संज्ञान में आए बैंक के लेनदेन, बैंक की शक्तियों के भीतर हैं; तथा

(सी) चूंकि बैंक के प्रमुख परिचालन कोर बैंकिंग सिस्टम्स में एकीकृत प्रमुख अप्लीकेशनों के साथ स्वचालित हैं, इसलिए लेखापरीक्षा केंद्रीय रूप से की गई है क्योंकि हमारे लेखापरीक्षा के प्रयोजनों के लिए आवश्यक सभी आवश्यक अभिलेख और डेटा इसमें उपलब्ध हैं।

अन्य कानूनी और विनियामकीय आवश्यकताओं पर रिपोर्ट

पुन: जैसा कि अधिनियम की धारा 143 (3) द्वारा आवश्यक है, हम रिपोर्ट करते हैं कि :

(ए) हमने वे सभी सूचनाएँ और स्पष्टीकरण माँगी और प्राप्त की है जो हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार हमारी लेखापरीक्षा के उद्देश्य से आवश्यक थे;

(बी) हमारी राय में कानून द्वारा यथा आवश्यक उचित खाता बहियाँ बैंक द्वारा रखी गई हैं, जहाँ तक उन पुस्तकों की हमारी परीक्षा से ऐसा प्रतीत होता है;

(सी) इस रिपोर्ट द्वारा संव्यवहृत तुलन–पत्र, लाभ और हानि खाता और नकदी प्रवाह विवरण खाता बहियों के अनुरूप हैं;

(डी) हमारी राय में उपर्युक्त स्वचलित वित्तीय विवरण उस सीमा तक अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत उल्लेख किए गए लेखांकन मानकों का अनुपालन करते हैं, जो आरबीआई द्वारा निर्धारित लेखांकन नीतियों के साथ असंगत नहीं हैं;

(ई) निदेशक मंडल द्वारा रिकॉर्ड पर लिए गए 31 मार्च 2018 को निदेशकों द्वारा प्राप्त लिखित प्रस्तावों के आधार पर, कोई भी निदेशक अधिनियम की धारा 164(2) के संदर्भ में निदेशक के रूप में नियुक्त होने के लिए दिनांक 31 मार्च 2018 तक अपात्र नहीं है।

(एफ) बैंक के स्वचलित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और इस तरह के नियंत्रणों की प्रचालन प्रभावशीलता के संबंध में 'अनुलग्नक ए' में हमारा पृथक रिपोर्ट देखें और;

(जी) कंपनी (लेखा परीक्षा और लेखा परीक्षक) नियम 2014 के नियम 11 के अनुसार लेखा परीक्षक के रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में, हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार :

(i) बैंक का कोई लंबित मुकदमा नहीं है और इसलिए इसके स्वचलित वित्तीय विवरणों में इसकी वित्तीय स्थिति पर इसका कोई प्रभाव नहीं है;

(ii) बैंक ने व्युत्पन्न अनुबंधों सहित दीर्घकालिक अनुबंधों पर महत्वपूर्ण भविष्य की हानियों, यदि कोई हो, के लिए लागू कानून या लेखांकन मानकों के अंतर्गत आवश्यक प्रावधान किया है;

(iii) बैंक द्वारा निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष में अन्तरित करने के लिए आवश्यक राशि को अन्तरित करने में कोई देरी नहीं की गई है।

(vi) कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी की गई अधिसूचना जी.एस.आर. 308 (ई) दिनाँकित 30 मार्च 2017 में यथा परिकल्पित 8 नवंबर 2016 से 30 दिसंबर 2016 की अवधि के दौरान निर्दिष्ट बैंक नोटों को धारण करने के साथ–साथ में लेनेदेन के लिए आवश्यक प्रकटीकरण बैंक पर लागू नहीं होता है।

कृते वी.के. सहगल और एसोसिएट्स
चार्टर्ड अकाउंटेन्ट
फर्म की पँजीकरण सं. 011519एन

Sd/-
अनुज महेश्वरी
भागीदार
सदस्यता सं. 096530

स्थान : नई दिल्ली
दिनाँक : 20 जुलाई, 2018

इंडिया पोस्ट पेमेन्ट्स बैंक लिमिटेड के स्वचलित वित्तीय विवरणों पर सम तिथि का स्वतंत्र लेखापरीक्षक रिपोर्ट का अनुलग्नक ए

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143 की उपधारा 3 के खंड (i) के अंतर्गत आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर रिपोर्ट

हमने 31 मार्च 2018 को इंडिया पोस्ट पेमेन्ट्स बैंक लिमिटेड ('बैंक') के वित्तीय रिपोर्ट पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की उक्त तिथि को समाप्त वर्ष के लिए बैंक के स्वचलित वित्तीय विवरणों की अपनी लेखापरीक्षा के साथ संयोजन करते हुए लेखा परीक्षा किया है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लिए प्रबंधन की उत्तरदायित्व

बैंक का निदेशक मंडल इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ('आईसीएआई') द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्ट पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखा परीक्षा पर मार्गदर्शन नोट ('मार्गदर्शन नोट') में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए बैंक द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्ट मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित करने और बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है। इन जिम्मेदारियों में पर्याप्त आंतरिक वित्तिय नियंत्रणों की अभिकल्पना, कार्यान्वयन और अनुरक्षण शामिल हैं जो बैंक के नीतियों के अनुपालन, इसकी परिसंपत्तियों की सुरक्षा, धोखाधड़ी और त्रुटियों की रोकथाम और पहचान, लेखांकन अभिलेखों की सटीकता और पूर्णता और कंपनी अधिनियम 2013 ('अधिनियम') के अंतर्गत यथा आवश्यक विश्वसनीय वित्तीय जानकारी की समय पर विरचन सहित इसके व्यापार का व्यवस्थित और कुशल संचालन सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से परिचालन कर रही थी।

लेखापरीक्षक का उत्तरदायित्व

हमारी ज़िम्मेदारी अपनी लेखापरीक्षा के आधार पर वित्तीय रिपोर्ट पर बैंक के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर राय व्यक्त करना है। हमने मार्गदर्शन नोट और आईसीएआई द्वारा जारी किए गए और आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर लागू सीमा तक अधिनियम की धारा 143(10) के अंतर्गत विहित माने वाले लेखांकन में मानकों के अनुसार अपनी लेखा परीक्षा किया है. उन मानकों और मार्गदर्शन नोट की आवश्यकता है कि हम नीतिशास्त्री य आवश्यकताओं का पालन करें और इस संबंध में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखापरीक्षा का नियोजन और निष्पादन करें कि क्या वित्तीय रिपोर्ट पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित किए गए और बनाए रखे गए थे और क्या ऐसे नियंत्रण सभी महत्वपूर्ण संबंधों में प्रभावी ढंग से परिचालित थे।

हमारी लेखापरीक्षा में वित्तीय रिपोर्ट पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता और उनकी परिचालन प्रभावशीलता के संबंध में लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रक्रियाएँ करना शामिल है। वित्तीय रिपोर्ट पर आंतरिक वित्तिय नियंत्रणों की हमारी लेखापरीक्षा में वित्तीय रिपोर्ट पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की समझ प्राप्त करना, इस बात के जोखिम का आकलन करना कि महत्वपूर्ण दुर्बलता विद्यमान है और आकलन किए गए जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण की अभिकल्पना और प्रचालन प्रभावशीलता का परीक्षण और मूल्यांकन करना शामिल है. चयनित प्रक्रियाएं लेखा परीक्षकों के निर्णय पर निर्भर करती हैं जिसमें वित्तीय विवरणों की गलतबयानी के जोखिमों का आकलन शामिल है चाहे धोखाधड़ी के कारण हो या त्रुटि के कारण हो।

हमारा मानना है कि हमने जो लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त किया है वित्तीय रिपोर्ट पर बैंक की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली पर हमारी लेखापरीक्षा राय के आधार के लिए पर्याप्त और उचित है।

वित्तीय रिपोर्ट पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अर्थ

बैंक का वित्तीय रिपोर्ट पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण वित्तीय रिपोर्ट की विश्वसनीयता और आम तौर पर स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार बाहरी उद्देश्यों के लिए वित्तीय विवरण तैयार करने के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करने के लिए अभिकल्पित प्रक्रिया है। बैंक का वित्तीय रिपोर्ट पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में वे नीतियाँ और प्रक्रियाएँ शामिल होती हैं जो (1) उचित विवरण में सटीक ढंग से और निष्पक्ष रूप से बैंक की परिसंपत्तियों के लेनदेनों और प्रकृति को स्पष्ट रूप से प्रतिबिंबित करने वाले अभिलेखों के अनुरक्षण से संबंधित होती हैं; (2) उचित आश्वासन प्रदान करती हैं कि लेनदेनों को अभिलेखित किया गया है जैसा कि आम तौर पर स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय विवरणों की विरचन की अनुमति देने के लिए आवश्यक है और बैंक का आय और व्यय केवल बैंक के प्रबंधन और निदेशकों के

प्राधिकरण के अनुसार किया जा रहा है; और (3) बैंक की परिसंपत्तियों के अनधिकृत अधिग्रहण उपयोग या प्रबंध की रोकथाम या समय पर पता लगाने के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करती हैं जिनका वित्तीय विवरणों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है।

वित्तिय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की आंतरिक सीमाएँ

मिलिभगत की संभावना या अनुचित प्रबंधन के साथ वित्तीय रिपोर्टिंग पर आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण की अंतर्निहित सीमाओं के कारण त्रुटिवश या धोखापड़ी के कारण गलतबयानी हो सकती है और पता नहीं लगाई जा सकती है। साथ ही भविष्य की अवधियों के लिए वित्तीय रिपोर्ट पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के किसी भी मूल्यांकन का अनुमान भी जोखिम के अधीन हैं कि वित्तीय रिपोर्ट पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थितियों में बदलावों के कारण अपर्याप्त हो सकता है या नीतियों या प्रक्रियाओं के अनुपालन की मात्रा विकृत हो सकती है।

विचार

हमारी विचार में बैंक में सभी महत्वोपूर्ण विषयों में वित्तीय रिपोर्ट पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है और वित्तीय रिपोर्ट पर ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण आईसीएआई द्वारा जारी मार्गदर्शन नोट में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों को देखते हुए बैंक द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्ट पर आंतरिक नियंत्रण मानदंडों के आधार पर 31 मार्च 2018 को प्रभावी ढंग से परिचालित थे।

कृते वी.के. सहगल और एसोसिएट्स
चार्टर्ड अकाउंटेन्ट
फर्म की पँजीकरण सं. 011519एन
Sd/-
अनुज महेश्वरी
भागीदार सदस्यता सं. 096530

स्थान : नई दिल्ली
दिनाँक : 20 जुलाई, 2018

इंडिया पोस्ट पेमेन्ट्स बैंक लिमिटेड
31 मार्च 2018 के अनुसार तुलन पत्र

(₹ में.)

पूंजी तथा देयताएं		यथा 31.03.2018	यथा 31.03.2017
पूंजी	1	4,000,000,000	2,750,000,000
आरक्षित तथा अधिशेष	2	3,999,978,207	259,731,912
जमाराशियां	3	12,042,943	2,370,079
उधारियां	4	-	-
अन्य देयताएं और प्रावधान	5	106,466,830	115,849,145
कुल		**8,118,487,980**	**3,127,951,136**
परिसम्पत्तियां			
भारतीय रिज़र्व बैंक के पास नकदी तथा शेष	6	3,340,292	247,757
बैंकों के पास शेष तथा कॉल पर व अल्प सूचना पर धन	7	897,876,208	1,479,253,208
निवेश	8	6,437,877,634	1,555,441,976
ऋण तथा अग्रिम	9	-	-
अचल परिसम्पत्तियां	10	67,439,438	47,860,355
अन्य परिसम्पत्तियां	11	711,954,408	45,147,840
कुल		**8,118,487,980**	**3,127,951,136**
आकस्मिक देयताएं	12	2500000	0
एकत्रीकरण के लिए बिल		0	0

Sd/-
(सुरेश सेठी)
प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी (DIN नं. 06426040)
R/o, C/901, लोधा बेलिस्सिमो, एनएमजोशी मार्ग,
अपोलो मिल कंपाउंड, महालक्ष्मी, मुंबई

Sd/-
(अनंत नारायण नंदा)
अध्यक्ष/चेयरमैन (DIN no. 07810425)
R/o, C1, ब्लॉक 5, न्यू मोती बाग, नई दिल्ली

Sd/-
(प्रियंका भटनागर)
कंपनी सचिव/कंपनी सेक्रेटरी (पैन नं. AQKPB7572L)
R/o C-8 फ्लैट नं. 9, चंदर नगर,
गाजियाबाद, उ.प्र.

Sd/-
(सविता गुप्ता)
मुख्य वित्तीय अधिकारी (पैन नं. AGOPG2529A)
R/o B5/96, सफदरजंग एनक्लेव, नई दिल्ली

इसी तिथि की हमारी रिपोर्ट के अनुसार
कृते वी के सहगल एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड अकाउंटेन्ट – FRN No. 011519N
Sd/-
(अनुज माहेश्वरी)
पार्टनर
सदस्यता संख्या : 096530

दिनांक : 20/07/2018
स्थान: नई दिल्ली

इंडिया पोस्ट पेमेन्ट्स बैंक लिमिटेड
31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ व हानि का खाता

(₹ में.)

अनुसूची		समाप्त वर्ष 31.03.2018	अवधि समाप्त 31.03.2017
I. आय			
अर्जित ब्याज	13	395,265,857	50,141,265
अन्य आय	14	2,787,392	399,699,021
कुल		398,053,249	449,840,286
II. व्यय			
व्ययगत ब्याज	15	386,486	10,840
परिचालन व्यय	16	386,317,223	416,864,397
प्रावधान तथा आकस्मिकताएं		1,124,934	10,747,441
कुल		387,828,643	427,622,678
असाधारण मदें		**19,978,311**	-
पूर्व अवधि का व्यय			
निवल लाभ/निवल हानि	-	**9,753,705**	**22,217,608**
लाभ व हानि खाता में शेष (आगे बढ़ाया)		**16,663,206**	-
विनियोग (अग्रेसित) के लिए उपलब्ध लाभ		**6,909,501**	**22,217,608**
विनियोग			
आरक्षित को अन्तरित (निवल)			
सांविधिक आरक्षित	-	**5,554,402**	
तुलन पत्र में उपलब्ध शेष		**6,909,501**	**16,663,206**
कुल		**6,909,501**	**22,217,608**

Sd/-
(सुरेश सेठी)
प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी (DIN नं. 06426040)
R/o, C/901, लोधा बेलिस्सिमो, एनएमजोशी मार्ग,
अपोलो मिल कंपाउंड, महालक्ष्मी, मुंबई

Sd/-
(अनंत नारायण नंद)
अध्यक्ष/चेयरमैन (DIN no. 07810425)
R/o, C1, ब्लॉक 5, न्यू मोती बाग, नई दिल्ली

(प्रियंका भटनागर)
Sd/-
कंपनी सचिव/कंपनी सेक्रेटरी (पैन नं. AQKPB7572L)
R/o C-8 फ्लैट नं. 9, चंदर नगर,
गाजियाबाद, उ.प्र.

(सविता गुप्ता)
Sd/-
मुख्य वित्तीय अधिकारी (पैन नं. AGOPG2529A)
R/o B5/96, सफदरजंग एनक्लेव, नई दिल्ली

इसी तिथि की हमारी रिपोर्ट के अनुसार
कृते वी के सहगल एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड अकाउंटेन्ट – FRN No. 011519N
Sd/-
(अनुज माहेश्वरी)
पार्टनर
सदस्यता संख्या. 096530

दिनांक : 20/07/2018
स्थान: नई दिल्ली

खातों की अनुसूचियां (इंडिया पोस्ट पेमेन्ट्स बैंक लिमिटेड)

अनुसूची 1 – पूंजी (₹ में.)

	यथा 31.03.2018	यथा 31.03.2017
अधिकृत पूंजी रू. 10 प्रत्येक के 100,00,00,000 इक्विटी शेयर्स	10,000,000,000	10,000,000,000
जारी व सब्सक्राइब हुए रू. 10 प्रत्येक के 40,00,00,000 (पूर्व वर्ष 27,50,00,000) इक्विटी शेयर्स	4,000,000,000	2,750,000,000
प्रदत्त पूंजी रू. 10 प्रत्येक के 40,00,00,000 (पूर्व वर्ष 27,50,00,000) इक्विटी शेयर्स	4,000,000,000	2,750,000,000
कुल	**4,000,000,000**	**2,750,000,000**

अनुसूची 2 – आरक्षित तथा अधिशेष

I. सांविधिक आरक्षित				
आरंभिक शेष	5,554,402		-	
वर्ष के दौरान सम्मिलित	-		5,554,402	
		5,554,402		5,554,402
II. आरक्षित पूंजी				
अ) पुन: मूल्यांकन आरक्षित				
आरंभिक शेष	-	-		
वर्ष के दौरान सम्मिलित	-	-		
वर्ष के दौरान कटौती	-	-		
(प्रॉपर्टी के पुन: मूल्यांकित अंश पर अवमूल्यन के कारण)				
	-	-		
ब) अन्य (सरकारी अनुदान)				
आरंभिक शेष	237,514,304	-		
वर्ष के दौरान सम्मिलित	3,750,000,000		250,000,000	
वर्ष के दौरान कटौती (इस्तेमाल)		-	2,485,696	
खातों पर टिप्पणियां का नोट सं. 15 देखें)				
		3,987,514,304		237,514,304

खातों की अनुसूचियां (इंडिया पोस्ट पेमेन्ट्स बैंक लिमिटेड)

(₹ में.)

III. राजस्व तथा अन्य आरक्षित		यथा 31.03.2018		यथा 31.03.2017
a. निवेश आरक्षित				
आरंभिक शेष	-		-	
वर्ष के दौरान सम्मिलित	-		-	
घटाएं: लाभ व हानि खातों को अंतरित	-		-	
		-		-
b. अन्य आरक्षित				
आरंभिक शेष	-		-	
वर्ष के दौरान सम्मिलित	-		-	
		-		-
c. विदेशी मुद्रा उतार–चढ़ाव आरक्षित				
आरंभिक शेष	-		-	
जोड़ें: वर्ष के दौरान सम्मिलित (निवल)	-		-	
घटाएं: वर्ष के दौरान निकासी (निवल)	-		-	
		-		-
IV. शेयर प्रीमियम				
आरंभिक शेष	-		-	
वर्ष के दौरान सम्मिलित	-		-	
		-		-
V. विशेष आरंक्षित				
आरंभिक शेष	-		-	
वर्ष के दौरान सम्मिलित	-		-	
वर्ष के दौरान कटौती	-		-	
	-		-	
VI. लाभ व हानि खाता में शेष		**6,909,501**		**16,663,206**
कुल I,II,,III,IV,V,VI, VI		**3,999,978,207**		**259,731,912**

खातों की अनुसूचियां (इंडिया पोस्ट पेमेन्ट्स बैंक लिमिटेड)

(₹ में.)

अनुसूची 3 – जमाराशियां	यथा 31.03.2018	यथा 31.03.2017
A. I मांग की जमाराशियां		
(i) बैंकों से	-	-
(ii) दूसरों से	-	-
	-	-
II बचत बैंक जमाराशियां	12,042,943	2,370,079
III मीयादी जमाराशियां		
(i) बैंकों से	-	-
(ii) दूसरों से	-	-
	-	-
कुल I, II, III	12,042,943	2,370,079
B. (i) भारत की शाखाओं में जमाराशियां	12,042,943	2,370,079
(ii) भारत से बाहर की शाखाओं में जमाराशियां	-	-
कुल i, ii	12,042,943	2,370,079

अनूसूची 4 – उधारियां		
I. भारत में उधारियां		
(i) भारतीय रिज़र्व बैंक	-	-
(ii) अन्य बैंक	-	-
(iii) अन्य संस्थान तथा एजेन्सियां	-	-
(iv) बॉण्ड्स (टियर – I, टियर-II, सहित, अधीनस्थ बॉण्ड्स)	-	-
II. भारत से बाहर उधारियां	-	-
कुल I, II	-	-
उपरोक्त I व II में शामिल जमानती उधारियां	-	-

अनुसूची 5 – अन्य देयताएं तथा प्रावधान

I. देय बिल्स	-	-
II. अंत: कार्यालय समायोजन (निवल)	-	-
III. अर्जित ब्याज	-	-
IV. आस्थगित कर देयता (निवल)	-	4,026,246
V. अन्य (प्रावधानों सहित)	106,466,830	111,822,899
कुल I, II, III, IV & V	**106,466,830**	**115,849,145**

अनुसूची 6 – नकदी तथा भारतीय रिज़र्व बैंक के पास शेष

(₹ में.)

		यथा 31.03.2018		यथा 31.03.2017
I. हाथ में नकदी		142,792		147,757
II. भारतीय रिज़र्व बैंक के पास				
चालू खाता में शेष	3,197,500		100,000	
(ii) अन्य खातों में	-		-	
		3,197,500		100,000
कुल I, II		**3,340,292**		**247,757**

अनुसूची 7 – बैंकों में शेष तथा कॉल व अल्प सूचना पर धन

I. भारत में

(i) बैंकों में शेष:

(a) चालू खातों में	41,638,820		47,474,060	
(b) अन्य जमा खातों में	856,237,388		1,431,779,148	
		897,876,208		1,479,253,208
(ii) कॉल तथा अल्प सूचना पर धन:				
(a) बैंकों के साथ	-		-	
(b) अन्य संस्थानों के साथ	-		-	
		-		-
कुल (i & ii)		897,876,208		1,479,253,208

II. भारत के बाहर

(i) चालू खातों में	-		-	
(ii) अन्य जमा खातों में	-		-	
(iii) कॉल व अल्प सूचना पर धन	-		-	
कुल		-		-
महा योग (I व II)		**897,876,208**		**1,479,253,208**

खातों की अनुसूचियां (इंडिया पोस्ट पेमेन्ट्स बैंक लिमिटेड)

(₹ में.)

अनुसूची 8 – निवेश	यथा 31.03.2018	यथा 31.03.2017
I. भारत में निम्न में निवेश		
(i) सरकारी प्रतिभूतियां (खातों की टिप्पणियां में टिप्पणी 2 देखें)	6,437,877,634	1,555,441,976
(ii) अन्य स्वीकृत प्रतिभूतियां	-	-
(iii) शेयर्स	-	-
(iv) डिबेन्चर्स और बॉण्ड्स	-	-
(v) सहयोगियों/सहायक कंपनियों में निवेश	-	-
(vi) अन्य (विभिन्न म्यूच्युअल फंड्स तथा कमर्शियल पेपर आदि)	-	-
कुल I	**6,437,877,634**	**1,555,441,976**
II. भारत के बाहर निवेश		
(i) सरकारी प्रतिभूतियां	-	-
(ii) सहयोगियों/सहायक कंपनियों में निवेश	-	-
(iii) अन्य निवेश	-	-
कुल II	-	-
III. भारत में निवेश		
I) निवेशों का सकल मूल्य	6,437,877,634	1,555,441,976
ii) घटाएं: अवमूल्यन के लिए प्रावधानों का योगफल	-	-
iii) निवल निवेश	6,437,877,634	1,555,441,976
IV. निवेशों का सकल मूल्य		
I) निवेशों का सकल मूल्य	-	-
ii) घटाएं: अवमूल्यन के लिए प्रावधानों का योगफल	-	-
iii) निवल निवेश	-	-
महा योग (I), (II)	**6,437,877,634**	**1,555,441,976**

खातों की अनुसूचियां (इंडिया पोस्ट पेमेन्ट्स बैंक लिमिटेड)

(₹ में.)

अनुसूची 9 – अग्रिम	यथा 31.03.2018	यथा 31.03.2017
A. i) खरीदे गए बिल तथा बट्टागत	-	-
ii) कैश क्रेडिट्स ओवरड्राफ्ट्स तथा मांग पर चुकाए जाने वाले ऋण	-	-
iii) मीयादी ऋण	-	-
कुल	-	-
B. i) वास्तविक आस्तियों द्वारा जमानती (बुक डेट्स पर अग्रिम सहित)	-	-
ii) बैंक /सरकारी गारंटियों द्वारा संरक्षित	-	-
iii) गैर जमानती	-	-
कुल	-	-
C. (I) भारत में अग्रिम		
i) प्राथमिकता क्षेत्र	-	-
ii) सार्वजानिक क्षेत्र	-	-
iii) बैंक	-	-
iv) अन्य	-	-
कुल	-	-
C. (II). भारत के बाहर अग्रिम		
i) बैंकों से देय	-	-
ii) अन्यों से देय		
(a) खरीदे गये बिल तथा बट्टागत	-	-
(b) मीयादी त्रण	-	-
(c) अन्य	-	-
कुल	-	-
महा योग C (I) & C (II)	-	-

खातों की अनुसूचियां (इंडिया पोस्ट पेमेन्ट्स बैंक लिमिटेड)

(₹ में.)

अनुसूची 10 – अचल आस्तियां	यथा 31.03.2018		यथा 31.03.2017	
I. परिसर (जमीन सहित)				
–वर्ष की 1 अप्रैल को लागत पर	-		-	
–वर्ष के दौरान सम्मिलित	-		-	
घटाएं : वर्ष के दौरान कटौतियां	-		-	
-पुन: मूल्यांकन	-		-	
घटाएं : तिथि को अवमूल्यन	-		-	
		-		-
II. अन्य अचल आस्तियां (फर्नीचर तथा फिक्सचर्स सहित)				
–वर्ष की 1 अप्रैल को लागत पर	2,870,859	-		
–वर्ष के दौरान सम्मिलित	27,798,331		2,870,859	
घटाएं : वर्ष के दौरान कटौतियां		-		-
घटाएं : तिथि को अवमूल्यन	2,044,133		159,317	
		28,625,057		**2,711,542**
III. कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर				
–वर्ष की 1 अप्रैल को लागत पर	46,835,969		-	
–वर्ष के दौरान सम्मिलित	12,768,180		46,835,969	
–वर्ष के दौरान कटौतियां	20,749,597		-	
घटाएं : तिथि तक चुकाए गए ऋण	8,686,781		1,687,156	
(खातों की टिप्पणियों में टिप्पणी सं. 38 देखें)	**30,167,771**		**45,148,813**	
IV. पट्टे पर ली गई आस्तिया				
–वर्ष की 1 अप्रैल को लागत पर	-		-	
–वर्ष के दौरान सम्मिलित	-		-	
–वर्ष के दौरान कटौतियां	-		-	
घटाएं : तिथि को अवमूल्यन	-		-	
		-		-
V. **जारी कार्य**		**8,646,610**		-
खातों की टिप्पणियों में टिप्पणी सं. 37 देखें				
कुल I, II, III, IV		**67,439,438**		**47,860,355**

खातों की अनुसूचियां (इंडिया पोस्ट पेमेन्ट्स बैंक लिमिटेड)

(₹ में.)

अनुसूची 11 – अन्य आस्तियां	यथा 31.03.2018	यथा 31.03.2017
I. अर्जित ब्याज	6,532,252	22,673,752
II. अदा किया गया अग्रिम टैक्स/स्रोत पर काटा गया टैक्स (प्रवधानों को छोड़कर)	-	-
III. स्टेशनरी तथा स्टैम्प्स	-	-
IV. दावों की संतुष्टि के रूप में अधिग्रहित गैर बैंकिंग आस्तियां	-	-
V. आस्थगित टैक्स आस्तियां (निवल)	913,735	-
VI. व्यय पूंजीकृत नियमन	-	22,002,088
VII. प्रत्याभूति जमाएं	5,778,600	447,000
VIII. पूंजी की प्रतिबद्धता के लिए दिया गया अग्रिम (खातों की टिप्पणियों में नोट सं. 37 देखें)	656,042,091	-
IX. **अन्य**	**42,687,730**	**25,000**
कुल I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX	**711,954,408**	**45,147,840**

अनुसूची 12 – आकस्मिक देयताएं		
I.(i) बैंक द्वारा कर्ज के रूप में स्वीकार न किए गए पर दावे	-	-
I (ii). विवादित आयकर तथा अपील संदर्भ के अतर्गत मांग पर आय कर	-	-
II. आंशिक भुगतान किए गए निवेशों के लिए देयता	-	-
III. विनिमय संविदाएं खाता की बकाया पर देयता	-	-
IV. संघटकों की ओर से दी गई गारंटियां		
(a) भारत में	-	-
(b) भारत के बाहर	-	-
V. स्वीकृति, पृष्ठांकन तथा अन्य बाध्यताएं	-	-
VI. अन्य मदें जिनके लिए बैंक आकस्मिक रूप से देयता है	2,500,000	-
कुल I, II, III, IV, V, VI	**2,500,000**	**-**

खातों की अनुसूचियां (इंडिया पोस्ट पेमेन्ट्स बैंक लिमिटेड)

(₹ में.)

अनुसूची 13 – अर्जित ब्याज तथा लाभांश	समाप्त वर्ष 31.03.2018	समाप्त वर्ष 31.03.2017
I. अग्रिमों/बिलों पर ब्याज/बट्टा	-	-
II. निवेशों पर आय	378,840,915	5,849,906
III. भारतीय रिज़र्व बैंक तथा अन्य अन्तर बैंक निधियों के साथ शेष राशि पर ब्याज	16,424,942	44,291,359
IV. अन्य	-	-
कुल I, II, III, IV	**395,265,857**	**50,141,265**

अनुसूची 14 – अन्य आय				
I. कमीशन, एक्सचेंज तथा ब्रोकरेज		-		-
II. जमीन, इमारत तथा अन्य आस्तियों की बिक्री पर लाभ	-		-	
घटाएं: जमीन, इमारत तथा अन्य आस्तियों की बिक्री पर हानि	-	-	-	-
III. म्यूच्युअल फ़ंड से लाभांश आय	-		-	
V. मुद्रा कारोबार पर लाभ	-		-	
घटाएं: मुद्रा कारोबार पर हानि	-	-	-	-
V. निवेशों की बिक्री पर लाभ	-		-	
घटाएं: निवेशों की बिक्री पर हानि	-	-	-	-
VI. भर्ती से आय		2,238,326		399,696,200
VII. विविध आय		549,066		2,821
कुल **I, II, III, IV, V, VI, VII**		**2,787,392**		**399,699,021**

खातों की अनुसूचियां (इंडिया पोस्ट पेमेन्ट्स बैंक लिमिटेड)

अनुसूची 15 – व्ययगत ब्याज	समाप्त वर्ष 31.03.2018	समाप्त वर्ष 31.03.2017
I. जमाओं पर ब्याज	386,486	10,840
II. भारतीय रिज़र्व बैंक/ अंतर बैंक उधारियों पर ब्याज	-	-
III. अन्य	-	-
कुल **I, II, III**	**386,486**	**10,840**

अनुसूची 16 – परिचालन व्यय			
I . कर्मचारियों को भुगतान और उनके लिए प्रावधान		149,535,701	1,394,880
II. किराया, टैक्स तथा लाइटिंग		2,243,183	390
III. प्रिंटिंग तथा स्टेशनरी		1,149,345	103,776
IV. विज्ञापन तथा प्रचार		5,181,772	347,276
V. बैंक की सम्पत्ति पर अवमूल्यन	9,655,728		1,846,473
घटाएं: पुन:मूल्यांकन के साथ समायोजित आरक्षित	-		-
		9,655,728	1,846,473
VI. निदेशकों की फीस, भत्ते और व्यय		560,000	-
VII. लेखा परीक्षकों की फीस और व्यय (सहायक कंपनियों के सांविधिक लेखापरीक्षक, शाखा लेखा परीक्षक की फीस तथा व्यय सहित)		104,600	69,000
VIII. विधि प्रभार		114,576	-
IX. डाक, टेलीग्राम, टेलीफ़ोन आदि		1,282,261	93,964
X. रिपेयर्स और रखरखाव		83,202	-
XI. इंश्योरेन्स		719,800	54,293
XII. प्रोफेशनल फीस		72,369,809	65,187,959
XIII. भर्ती पर खर्च		9,038,466	310,484,362
XIV. प्रशिक्षण पर व्यय		26,959,810	-
XV. अन्य व्यय		85,316,882	31,781,502
XVI. बट्टागत निगमन व्यय		22,002,088	5,500,522
कुल **I to XVI**		**386,317,223**	**416,864,397**

समाप्त वर्ष 2017–18 के लिए कैश फ्लो (नकदी प्रवाह) विवरणी				
विवरण		विवरण राशि (रू.में)		विवरण राशि (रू.में)
		(2017-18)		(2016-17)
8 A. परिचालन से कैश फ्लो (नकदी प्रवाह)				
i) कर के बाद निवल लाभ		-9,753,705		22,217,608
जोड़ें: कर के लिए प्रावधान (आस्थगित कर सहित)		1,124,934		10,747,441
कर पूर्व लाभ	i)	-8,628,771		32965048.9967473
ii) समायोजन:				
अचल आस्तियों पर अवमूल्यन		9,655,728		1,846,473
बट्टागत नियमन व्यय		22,002,088		5,500,522
बट्टागत पूर्व अवधि की मद		19978310.74		0
घटाएं: अनुदान से निकासी राशि		-		-12,485,696
कुल समायोजन	ii)	51,636,126		-5,138,701
परिचालन आस्तियों एवं देयताओं में परिवर्तन से पूर्व परिचालन लाभ		43,007,356		27,826,348
iii) परिचालन आस्तियों तथा देयताओं में निवल परिवर्तन के लिए समायोजन				
निवेशों (निवल) में वृद्धि		-4,882,435,658		-1,555,441,976
अन्य आस्तियों (निवल) में वृद्धि		-687,894,921		-50,648,362
जमाओं (निवल) में वृद्धि		9,672,864		2,370,079
अन्य देयताओं (निवल) में वृद्धि		-7,484,759		107,263,465
परिचालन आस्तियों तथा देयताओं (iii) में निवल परिवर्तन हेतु कुल समायोजन	(iii)	-5,568,142,474		-1,496,456,794
परिचालन (i)+(ii)+(iii) से इस्तेमाल किया गया कैश फ्लो (नकदी प्रवाह)		-5,525,135,118		-1,468,630,446
भुगतान किया गया कर		-3,936,226		-2,161,761
परिचालन से इस्तेमाल किया गया निवल कैश फ्लो (नकदी प्रवाह)	A	-5,529,071,344		-1,470,792,207
B. निवेश गतिविधियों में इस्तेमाल किया गया कैश फ्लो (नकदी प्रवाह)				
अचल आस्तियों की खरीद		-49,213,121		-49,706,828
निवेश गतिविधियों में इस्तेमाल किया गया निवल कैश फ्लो (नकदी प्रवाह)	B	-49,213,121		-49,706,828
C. वित्त पोषण गतिविधियों से उत्पन्न कैश फ्लो (नकदी प्रवाह)				
शेयर पूंजी का इश्यू		1,250,000,000		2,750,000,000
अनुदानों की प्राप्ति		3,750,000,000		250,000,000
वित्त पोषण गतिविधियों से उत्पन्न निवल नकद	C	5,000,000,000		3,000,000,000
नकद तथा नकद समतुल्य में निवल परिवर्तन (A)+(B)+(C')	D	**-578,284,465**		**1,479,500,965**
वर्ष के आरंभ में नकद तथा नकद समतुल्य				

भा रि बैंक के साथ नकद तथा शेष	247,757		-	
बैंकों के साथ शेष तथा कॉल व अल्प सूचना पर धन	1,479,253,208		-	
		1,479,500,965		
वर्ष के अंत में नकद तथा नकद समतुल्य				
भा रि बैंक के साथ नकद तथा शेष	3,340,292		247,757	
बैंकों के साथ शेष तथा कॉल व अल्प सूचना पर धन	897,876,208		1,479,253,208	
		901,216,500		**1,479,500,965**
		----------		----------
		-578,284,465		**1,479,500,965**
		----------		----------

अनुसूची 17

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ

1. संरचना का आधार :

वित्तीय विवरणों को ऐतिहासिक लागत आधार पर तैयार किया गया है और जब तक कि अन्यथा न कहा गया हो सभी महत्वपूर्ण पहलुओं में, आम तौर पर भारत में स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों (जीएएपी) की पुष्टि करते हैं जिनमें लागू सांविधिक प्रावधान, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा निर्धारित नियामकीय मानदंड, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा समय-समय पर जारी किए गए परिपत्र, दिशानिर्देश, बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949, लेखांकन मानक (एएस) और इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) द्वारा जारी घोषणाएँ और भारत में बैंकिंग उद्योग में प्रचलित प्रथाएँ शामिल हैं,

वित्तीय विवरणों को उपचय अवधारणा के साथ कार्यशील संस्था आधार पर तैयार किया गया है और जब तक कि अन्यथा न कहा गया हो, निरंतर अनुसरित लेखांकन नीतियों और प्रथाओं के अनुसार हैं।

2. अनुमानों का उपयोग

वित्तीय विवरणों का विरचन प्रबंधन से वित्तीय विवरणों की तिथि तक परिसंपत्तियों और देनदारियों (आकस्मिक देनदारियों सहित) की सूचित राशियों और रिपोर्ट अवधि के लिए सूचित आय और व्यय का अनुमान और पूर्वानुमान लगाने की माँग करता है. प्रबंधन का मानना है कि वित्तीय विवरणों के विरचन में प्रयुक्त अनुमान विवेकपूर्ण और उचित हैं।

जब तक कि अन्यथा न कहा गया हो, लेखांकन अनुमानों में कोई भी संशोधन वर्तमान और भविष्य की अवधियों में संभावित रूप से अभिज्ञात किया जाता है।

3. आगम अभिज्ञान

आय और व्यय का उपचय आधार पर लेखांकन किया जाता है।

4. निवेश

4.1 बैंक भारत सरकार और राज्य सरकार की प्रतिभूतियों को छोड़कर, जहाँ आरबीआई दिशानिर्देशों के अनुसार लेखांकन की निपटान तिथि विधि का पालन किया जा रहा है, निवेश की खरीद और बिक्री के लिए लेखांकन की व्यापार तिथि विधि का पालन करता है।

4.2 निवेशों को बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की तीसरे अनुसूची के फॉर्म ए में यथा निर्धारित छह श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है।

4.3 निवेशों को परिपक्वता तक धारित, बिक्री के लिए उपलब्ध और आरबीआई दिशानिर्देशों के संदर्भ में व्यापार के लिए धारित में वर्गीकृत किया गया है।

4.4 निवेश की अधिग्रहण लागत निर्धारित करने में

ए. प्रतिभूतियों के अधिग्रहण के संबंध में भुगतान की गई दलाली, कमीशन, प्रतिभूति लेनेदेन कर (एसटीटी) इत्यादि को अग्रिम में आगम खर्च माना जाता है और लागत से बाहर रखा जाता है।

बी. प्रतिभूतियों के अधिग्रहण/बिक्री की तिथि तक अर्जित ब्याज अर्थात खंडित अवधि का ब्याज अधिग्रहण लागत/बिक्री प्रतिफल से बाहर रखा जाता है और इसे अर्जित ब्याज लेकिन देय नहीं खाते में लेखांकित किया जाता है।

सी. निवेश की सभी श्रेणियों के लिए भारित औसत लागत विधि के आधार पर लागत निर्धारित की जाती है।

4.5. निवेश का मूल्य निर्धारण आरबीआई/एफआईएमएमडीए दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाता है

4.6 किसी भी श्रेणी में निवेश की बिक्री पर लाभ या हानि को लाभ और हानि खाते में ले जाया जाता है, लेकिन परिपक्वता तक धारित श्रेणी में निवेश की बिक्री पर लाभ के मामले में, समतुल्य राशि (शुद्ध करों और सांविधिक रिजर्व में अन्तरित किए जाने के लिए आवश्यक राशि) पूँजी रिजर्व खाता से विनियोजित की जाती है

5. स्थायी परिसंपत्तियाँ

5.1 जहाँ भी लागू हो, ऐतिहासिक लागत घटा संचित मूल्यह्रास/परिशोधन पर स्थायी परिसंपत्तियां निर्दिष्ट की जाती हैं।

5.2 स्थायी परिसंपत्तियाँ अनुसूची में सॉफ्टवेयर को पूँजीकृत किया जाता है और अमूर्त परिसंपत्तियों (कंप्यूटर सॉफ्टवेयर) के अंतर्गत रखा जाता है।

5.3 लागत में खरीद की लागत और सभी व्यय जैसे कि स्थल तैयारी, स्थापना लागत और पूँजीकरण के समय तक परिसंपत्ति पर वहन किए गए व्यावसायिक शुल्क शामिल हैं। परिसंपत्तियों पर किया गया अनुवर्ती व्यय केवल तभी पूँजीकृत किया जाता है जब यह ऐसी परिसंपत्तियों से भविष्य का लाभ या उनकी कार्यशील क्षमता बढ़ाता है।

5.4.मूल्यह्रास

A. चूँकि बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 द्वारा स्थायी परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास की कोई दर निर्धारित नहीं की गई है, इसलिए कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II के प्रावधानों का आईपीपीबी द्वारा पालन किया जाएगा,

परिसंपत्ति	**कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II के अंतर्गत निर्दिष्ट अनुमानित उपयोगी जीवनकाल**
स्वामित्वाधीन परिसर	60 वर्ष
कंप्यूटर	3 वर्ष
सर्वर, राउटर, नेटवर्क और संबंधित आईटी उपकरण	6 वर्ष
स्वचालित टेलर मशीनें ('एटीएम')	15 वर्ष
विद्युत उपकरण	10 वर्ष
कार्यालय उपकरण	5 वर्ष
फर्नीचर और फिटिंग्स	10 वर्ष
मोटर वाहन	8 वर्ष

1. बी. मूल्यह्रास सीधी रेखा आधार पर परिसंपत्ति के अनुमानित उपयोगी जीवनकाल पर प्रभारित किया जा रहा है।
2. सी. परिसंपत्तियों के अधिग्रहण या निपटान के मामले में, वर्ष के दौरान परिसंपत्ति का उपयोग किए जाने के दिनों की संख्या के आधार पर मूल्यह्रास समानुपातिक रूप से प्रभारित किया जाता है।
3. डी. रू. 5,000/- तक की कीमत वाली परिसंपत्तियों का खरीद के वर्ष में पूरी तरह से मूल्य घटाया जाएगा।
4. ई. पुनर्मूल्यांकित/क्षीण परिसंपत्तियों के मामले में, संशोधित परिसंपत्ति मूल्य के संदर्भ में परिसंपत्तियों के शेष उपयोगी जीवनकाल पर मूल्यह्रास प्रदान किया जाएगा।

6. कर्मचारी लाभ

सभी नियमित कर्मचारी समूह चिकित्सा बीमा योजना में शामिल हैं।

सेवानिवृत्ति लाभ

i) भविष्य निधि : सभी योग्य कर्मचारी कर्मचारी भविष्य निधि के अंतर्गत अच्छादित हैं।

ii) ग्रैच्युइटी : बैंक सभी योग्य कर्मचारियों को ग्रैच्युइटी प्रदान करता है. यह लाभ ग्रैच्युइटी का भुगतान अधिनियम 1972 के अनुसार निर्धारित सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए देय राशि 15 दिनों के मूल वेतन के बराबर राशि को सेवानिवृत्ति पर, रोजगार में रहने के दौरान मृत्यु पर, या रोजगार की समाप्ति पर, अधिकार प्राप्त कर्मचारियों को एकमुश्त भुगतान के रूप में है। जो कि सेवा प्राप्ति के पाँच वर्ष पूरा होने पर होती है।

7. आय पर कर

आयकर व्यय बैंक द्वारा वहन किए गए वर्तमान कर और आस्थागित कर व्यय की कुल राशि है. वर्तमान कर व्यय और आस्थागित कर व्यय क्रमश: आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों और लेखांकन मानक 22 – आय पर करों के लिए लेखांकन के अनुसार निर्धारित किया जाता है।

आस्थागित कर समायोजन में वर्ष के दौरान आस्थागित कर परिसंपत्तियों या देनदारियों में परिवर्तन शामिल होता हैं. आस्थागित कर परिसंपत्तियों और देनदारियों को वर्तमान वर्ष के लिए कर योग्य आय और लेखांकन आय के बीच समयांतरालों के प्रभाव पर विचार करके अभिज्ञात किया जाता है, और हानि अग्रेषित की जाती है. आस्थागित कर परिसंपत्तियों और देनदारियों का कर दरों और कर कानूनों का उपयोग करके मापन किया जाता है जिन्हें तुलन–पत्र की तिथि पर अधिनियमित या पर्याप्त रूप से अधिनियमित किया गया होता है। आस्थागित कर परिसंपत्तियों और देनदारियों में परिवर्तनों का प्रभाव लाभ और हानि खाते में अभिज्ञात किया जाता है। इस संबंध में प्रबंधन के निर्णय के आधार पर आस्थागित कर परिसंपत्तियों को प्रत्येक रिपोर्ट तिथि पर अभिज्ञात और पुनर्निर्धारित किया जाता है कि क्या उनकी उगाही को उचित रूप से/वस्तुतः निश्चित माना जाता है।

8. प्रावधान, आकस्मिक दायित्व और आकस्मिक परिसंपत्तियाँ

इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी एएस 29, प्रावधान, आकस्मिक दायित्व और आकस्मिक परिसंपत्तियाँ के अनुरूप, बैंक केवल तभी प्रावधानों को अभिज्ञात करता है जब उसका पिछली घटना के परिणामस्वरूप वर्तमान दायित्व होता है, और परिणामस्वरूप संसाधनों का संभावित बहिर्वाह होता है जिसमें दायित्व निपटाने हेतु आवश्यक आर्थिक लाभ शामिल होते हैं, और जब दायित्व की राशि का विश्वसनीय अनुमान लगाया जा सकता है। आकस्मिक परिसंपत्तियों को वित्तीय विवरणों में अभिज्ञात नहीं किया जाता है।

9. सरकारी अनुदानों के लिए लेखांकन

अधिदेश के अनुसार, एटीएम/माइक्रो–एटीएम/पीओएस के प्रावधान के माध्यम से इंडिया पोस्ट पेमेन्ट्स बैंक लिमिटेड द्वारा वित्तीय समावेशन को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से और नकद निकासी सुविधाएँ प्रदान करने, ग्रामीण डाकघरों का क्षमता निर्माण करने, ग्रामीण डाकघरों पर नकदी प्रबंधन प्रणालियाँ मजबूत बनाने, और वित्तीय साक्षरता शिविर चलाने के लिए उभरती प्रौद्योगिकिय समाधान के लिए सरकार द्वारा अनुदान स्वीकृत किया गया है। इसलिए, प्राप्त अनुदान पूँजीगत परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए है और अनुदान राशि को शेयरधारकों का निधि माना जाता है और पूँजी आरक्षित में जमा किया जाता है। इस प्रकार बैंक सरकारी अनुदानों पर एएस–12 के अनुसार पूँजी दृष्टिकोण विधि अपना रहा है।

अनुसूची 18
लेखों के लिए टिप्पणियाँ

1. पूँजी

(000 रुपये में)

अनु. क्र.	विवरण	31.03.2018	31.03.2017
i.	आम इक्विटी श्रेणी I पूँजी*	7968897	2942581
ii.	आम इक्विटी श्रेणी 1 पूँजी अनुपात (%)	767.99	755.47
iii.	श्रेणी 1 पूँजी अनुपात (%)	767.99	755.47
iv.	श्रेणी 2 पूँजी अनुपात (%)	0.00	0.00
v.	कुल पूँजी अनुपात (सीआरएआर) (%)	767.99	755.47
vi.	बैंक में भारत सरकार की शेयरधारिता का प्रतिशत	100.00%	100.00%
vii.	जुटाई गई इक्विटी पूँजी की राशि	1250000	2750000
viii.	जुटाई गई अतिरिक्त श्रेणी 1 पूँजी की राशि, जिसमें से : स्थायी गैर–संचयी अधिमानी शेयर (पीएनसीपीएस) स्थायी ऋण लिखत (पीडीआई)	शून्य शून्य शून्य	शून्य शून्य शून्य
ix.	जुटाई गई श्रेणी 2 पूँजी की राशि, जिसमें से : ऋण पूँजी लिखत : अधिमानी शेयर पूँजी लिखत : (स्थायी संचयी अधिमानी शेयर (पीसीपीएस)/ मोचन योग्यन गैर संचयी अधिमानी शेयर (आरएनसीपीएस)/मोचन योग्य संचयी अधिमानी शेयर (आरसीपीएस))	शून्य शून्य शून्य	शून्य शून्य शून्य

* निगमित व्यय का कटौती करने के बाद अपलिखित नहीं/स्थगित कर परिसंपत्तियाँ और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर.

2. निवेश

(000 रुपये में)

अनु. क्र.	विवरण	31.03.2018	31.03.2017
(1)	निवेश का मूल्य		
i	निवेश का सकल मूल्य	6437878	1555442
ए	भारत में (टी बिल)	6437878	1555442
बी	भारत के बाहर	0	0
ii	मूल्यह्रास के लिए प्रावधान	0	0
ए	भारत में	0	0
बी	भारत के बाहर	0	0

iii	निवेशों का कुल मूल्य	6437878	1555442
ए	भारत में	6437878	1555442
बी	भारत के बाहर	0	0
(2)	निवेश पर मूल्यह्रास के प्रति धारित प्रावधानों का संचलन		
i	प्रारंभिक शेष	0	0
ii	जोड़ें : वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	0	0
iii	घटाएँ : वर्ष के दौरान अतिरिक्त प्रावधानों का अपलेखन/प्रतिलेखन (शुद्ध)	0	0
iv	अंतिम शेष	0	0

3. रेपो लेनदेन (अंकित मूल्य के अर्थों में)

4. गैर–एसएलआर निवेश पोर्टफोलियो

4ए. गैर एसएलआर निवेश की निगमनकर्ता संरचना

4बी. गैर निष्पादक गैर–एसएलआर निवेश

4सी. बिक्री और एचटीएम श्रेणी में/से अन्तरण

5. व्युत्पन्न

5ए. अग्रिम दर करार/ब्याज दर विनिमय

5बी. एक्सचेंज ट्रेडेड ब्याज दर व्युत्पन्न

5सी. व्युत्पन्न में जोखिम संपर्क पर प्रकटीकरण

एस सं. 3 से एस स. 6 के मामले में सभी प्रकटीकरण शून्य/लागू नहीं हैं

6. परिसंपत्ति गुणवत्ता

6ए. गैर–निष्पादक परिसंपत्तियाँ

6बी. पुनर्गठित खातों के विवरण

6सी. परिसंपत्ति पुनर्गठन के लिए प्रतिभूतिकरण/पुनर्गठन कंपनी (एससी/आरसी) को बेची गई वित्तीय परिसंपत्तियों का विवरण

6डी. अन्य बैंकों से खरीदी गई/ को बेची गई गैर–निष्पादक वित्तीय परिसंपत्तियों का विवरण.

6इ. मानक परिसंपत्तियों पर प्रावधान

7. परिसंपत्ति दायित्व प्रबंधन

विवरण		31.03.2018	31.03.2017
i)	कार्यशील निधि के प्रतिशत के रूप में ब्याज आय	5.35%	1.67%
ii)	कार्यशील निधि के प्रतिशत के रूप में गैर–ब्याज आय	0.04%	13.32%
iii)	कार्यशील निधि के प्रतिशत के रूप में परिचालन लाभ	0.15%	1.10%
iv)	परिसंपत्तियों पर प्रतिफल	-0.13%	0.74%

v)	प्रति कर्मचारी कारोबार (जमा प्लस अग्रिम) (000 रुपये में)	11	790
vi)	प्रति कर्मचारी लाभ/(हानि) (000 रुपये में)	(9)	7405

8. परिसंपत्ति दायित्व प्रबंधन

परिपक्वता प्रतिरूप	जमाएँ	अग्रिम	निवेश	उधारियाँ	विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियाँ	विदेशी मुद्रा दायित्व
अगले दिन	---	शून्य	---	शून्य	शून्य	शून्य
2-7 दिन	---	शून्य	---	शून्य	शून्य	शून्य
8-14 दिन	1204 (237)	शून्य	499065 (शून्य)	शून्य	शून्य	शून्य
15-30 दिन	----	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
31 दिन से 2 महीने	---	शून्य	3996890 (शून्य)	शून्य	शून्य	शून्य
2 महीने से अधिक से 3 महीने तक	---	शून्य	3996890 (शून्य)	शून्य	शून्य	शून्य
3 महीने से अधिक से 6 महीने तक	---	शून्य	1236195 (533537)	शून्य	शून्य	शून्य
6 महीने से अधिक से 1 वर्ष तक	---	शून्य	शून्य (47677)	शून्य	शून्य	शून्य
1 वर्ष से अधिक से 3 वर्ष तक	10839 (2133)	शून्य	---	शून्य	शून्य	शून्य
3 वर्ष से अधिक से 5 वर्ष तक	---	शून्य	---	शून्य	शून्य	शून्य
5 वर्ष से अधिक	---	शून्य	---	शून्य	शून्य	शून्य
कुलयोग	12043 (2370)	शून्य	**6437878 (1555442)**	शून्य	शून्य	शून्य

कोष्ठक में दिए गए आंकड़े पिछले वर्ष के लिए हैं.

9. एक्सपोज़र :

9ए. वास्तविक संपदा क्षेत्र के लिए एक्सपोज़र

9बी. पूँजी बाजार के लिए एक्सपोज़र

9सी. जोखिम श्रेणीवार किसी देश में किसी बैंक का एक्सपोज़र

एस सं. 9 (ए) से एस सं. 9 (सी) तक के मामले में सभी प्रकटीकरण शून्य/लागू नहीं हैं

9डी. बैंक द्वारा विस्तार की गई एकल उधारकर्ता सीमा और समूह उधारकर्ता सीमा का विवरण: लागू नहीं

9ई. असुरक्षित अग्रिम : लागू नहीं

10. भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा लगाए गए जुर्मानों का प्रकटीकरण : शून्य

लेखांकन मानकों द्वारा आवश्यक अन्य प्रकटीकरण

11. एएस –6 मूल्यह्रास लेखांकन :

प्रत्येक वर्ग की परिसंपत्तियों के लिए मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए कुल मूल्यह्रास का विश्लेषण

(000 रुपये में)

परिसंपत्तियों का वर्ग	**31.03.2018**	**31.03.2017**
अन्य स्थायी परिसंपत्तियाँ	1885	159
कंप्यूटर सॉफ्टवेयर	7771	1687
कुलयोग	**9656**	**1846**

12. एएस–9 आगम अभिज्ञान : आगम अभिज्ञान उपचय आधार पर किया जाता है.

13. एएस–11 विदेशी मुद्रा दरों में परिवर्तन : शून्य

14. एएस–12 सरकारी अनुदान का उपयोग

31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए अनुदान का उपयोग नीचे दिया गया है :

(000 रुपये में)

विवरण	**31.03.2018**	**31.03.2017**
प्रारंभिक शेष	237514	----
वर्ष के दौरान अनुवृद्धि	3750000	250000
वर्ष के दौरान प्रयुक्त	-------	12486
अंतिम शेष	3987514	237514

15. एएस–15: कर्मचारी लाभ : बैंक ने चिकित्सा बीमा के अतिरिक्त कर्मचारी लाभों के लिए कोई प्रावधान नहीं किया है।

16. 31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए क्षेत्र रिपोर्ट

(000 रुपये में)

कुल			
S No	**विवरण**	**वर्ष समाप्त 31.03.2018 (लेखापरीक्षित)**	**वर्ष समाप्त 31.03.2018 (लेखापरीक्षित)**
i.	राजस्व क्षेत्र		
	ए) राजकोष	5. 395266	6. 5850
	बी) कॉर्पोरेट/थोक बैंकिंग	7. -----	8. ----
	सी) खुदरा बैंकिंग	9. -----	10. ----
	डी) अन्य बैंकिंग परिचालन	11. 2787	12. 443990
	कुलयोग	13. 398053	14. 449840

ii.	क्षेत्र परिणाम		
	ए) राजकोष	15. 32964	16. -5156
	बी) कॉर्पोरेट/थोक बैंकिंग	17. -----	18. -----
	सी) खुदरा बैंकिंग	19. -----	20. -----
	डी) अन्य बैंकिंग परिचालन	21. -21615	22. 38121
	कुलयोग	23. 11349	24. 32965
iii.	गैर–आवंटित व्यय		25. ------
iv.	परिचालन लाभ	26. 11349	27. 32965
v.	कर के लिए प्रावधान	28. 1125	29. 10747
vi.	असाधारण मद (पूर्व अवधि व्यय)	30. 19978	31. ----
vii.	शुद्ध लाभ	32. -9754	33. 22218
अन्य सूचनाएँ :			
viii.	क्षेत्र परिसंपत्तियाँ		
	ए) राजकोष	34. 7338951	35. 1555542
	बी) कॉर्पोरेट/थोक बैंकिंग	36. -----	37. ----
	सी) खुदरा बैंकिंग	38. -----	39. ----
	डी) अन्य बैंकिंग परिचालन	40. 779537	41. 1572409
	उप योग	42. 8118488	43. 3127951
	ई) गैर–आवंटित परिसंपत्तियाँ	44. -----	45. -----
	कुल परिसंपत्तियाँ	46. 8118488	47. 3128124
ix.	क्षेत्र दायित्व		
	ए) राजकोष	48. 107130	49. 58791
	बी) कॉर्पोरेट/थोक बैंकिंग	50. -----	51. ----
	सी) खुदरा बैंकिंग	52. -----	53. ----
	डी) अन्य बैंकिंग परिचालन	54. 11380	55. 59428
	उप योग	56. 118510	57. 118219
	ई) गैर– आवंटित देयता	58. ----	59. ----
	कुल देयता	60. 118510	61. 118219

भाग बी – भौगोलिक क्षेत्र

चूंकि बैंक केवल भारत में परिचालनरत है, इसलिए कोई भौगोलिक क्षेत्र किए जाने की आवश्यकता नहीं है.

17. आईसीएआई द्वारा जारी एएस–18 के अनुसार संबंधित पक्षों का प्रकटीकरण : शून्य

18. पट्टों के लिए लेखांकन – एएस–19 शून्यं

19. अर्जन प्रति शेयर – एएस–20

S No.	विवरण	31.03.2018	31.03.2017
ए	ईपीएस – आधाभूत/तनुकृत (रुपये में)	-0.03	0.16
बी	संख्यात्मक लाभ/(हानि) (कर के बाद) के रूप में उपयोग की गई राशि (000 रुपये)	(9754)	22218
सी	शेयर का मौद्रिक लागत	रु 10 रुपये	रु 10 रुपये
डी	मूल्यवर्ग के रूप में प्रयुक्त इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या	369863014	136164384

20. आय पर करों के लिए लेखांकन – एएस 22:

बैंक ने लेखांकन नीति के अनुसार आस्थागित कर परिसंपत्तियों और दायित्वों को अभिज्ञात किया है. जिसेके प्रमुख घटक नीचे दिए गए हैं :

(000 रुपये में)

विवरण	31.03.2018	31.03.2017
आस्थगित कर संपत्तियाँ		
निगमन व्यय	4249	
कुलयोग	4249	Nil
आस्थगित कर देयताएं		
स्थायी परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास	3335	4026
कुलयोग	3335	4026
आस्थागित कर देयता (निवल)	**----**	**4026**
आस्थगित कर परिसंपत्तियां (निवल)	**914**	**----**

21. समेकित वित्तीय विवरणों में एसोसिएट्स में निवेश के लिए लेखांकन (एएस–23) 22. एएस – 24, परिचालन बंद करना 23. एएस – 28, परिसंपत्तियों की क्षति 24. एएस – 29, प्रावधान, आकस्मिक देयता और आकस्मिक परिसंपत्तियाँ	एस सं. 21 से एस सं. 24 के मामले में सभी प्रकटीकरण शून्य/लागू नहीं

25. लाभ और हानि खाता में व्यय शीर्षक के अंतर्गत दिखाए गए प्रावधानों और आकस्मिकताओं का विश्लेषण निम्नानुसार है :

(000 रुपये में)

विवरण	31.03.2018	31.03.2017
निवेश पर मूल्यह्रास के लिए प्रावधान (शुद्ध)	-----	-----
एनपीए के प्रति प्रावधान (शुद्ध)	-----	----
मानक परिसंपत्तियों के प्रति प्रावधान	-----	-----
आय कर के प्रति किए गए प्रावधान	1125	10747
अन्य प्रावधान और आकस्मिकताएँ	----	-----
कुल योग	1125	10747

26. चल प्रावधानों का विश्लेषण : शून्य

27. आरक्षित से आहरण द्वारा कमी : शून्य

28. एटीएम से संबंधित ग्राहक शिकायतों सहित शिकायतों और बैंकिंग लोकपाल से सम्बन्धित लंबित।

मामलों का स्पष्टीकरण:–

ए. ग्राहक शिकायतें

	विवरण	31.03.2018	31.03.2017
ए)	वर्ष की आरंभ में लंबित शिकायतों की संख्या	शून्य	शून्य
बी)	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	75	7
सी)	वर्ष के दौरान निवारित शिकायतों की संख्या	66	7
डी)	वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या	9*	शून्य

***तिथि को समाधान किया गया**

ख. बैंकिंग लोकपाल द्वारा पारित अधिनिर्णय

	विवरण	31.03.2018	31.03.2017
ए)	वर्ष की आरंभ में लंबित अधिनिर्णयों की संख्या	शून्य	शून्य
बी)	वर्ष के दौरान बैंकिंग लोकपाल द्वारा पारित अधिनिर्णयों की संख्या	शून्य	शून्य
सी)	वर्ष के दौरान कार्यान्वित अधिनिर्णयों की संख्या	शून्य	शून्य
डी)	वर्ष के अंत में लंबित अधिनिर्णयों की संख्या	शून्य	शून्य

29. बैंक द्वारा आरंभ किए गए बीमा कारोबार के संबंध में प्रकटीकरण : शून्य

30. I. जमाओं, अग्रिमों, जोखिमों और एनपीए की संकेन्द्रण :

ए) जमा का संकेन्द्रण : (000 रुपये में)

विवरण	31.03.2018	31.03.2017
बीस सबसे बड़े जमाकर्ताओं की कुल जमा	1828	1272
बैंक की कुल जमा में बीस सबसे बड़े जमाकर्ताओं की जमा का प्रतिशत	15.18%	53.67%

बी. अग्रिमों का संकेन्द्रण सी. जोखिमों का संकेन्द्रण घ. एनपीए की सघनता ई. प्रावधान कवरेज अनुपात	एस सं. 30 (I) (बी) से (ई) के मामले में सभी प्रकटीकरण शून्य/लागू नहीं

II. क्षेत्र वार अग्रिम III. एनपीए का संचलन IV. समुद्रपारीय परिसंपत्तियाँ, एनपीए और आगम	एस सं. 30 (II) से (IV) के मामले में सभी प्रकटीकरण शून्य /लागू नहीं

31. क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड के रिवार्ड प्वाइंट 32. प्रतिभूतिकरण के संबंध में प्रकटीकरण 33. क्रेडिट डिफ़ॉल्ट स्वैप 34. जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता निधि में अन्तरण (डीईएएफ) 35. गैर–हेज्ड विदेशी मुद्रा जोखिम (यूएफसीई) 36. अंत:–समूह जोखिम	एस सं. 31 से एस सं. 36 के मामले में सभी प्रकटीकरण शून्य/लागू नहीं.

अन्य टिपण्णियाँ :

37. डाक विभाग को अग्रिम

वर्ष के दौरान आईपीपीबी ने आईपीपीबी कॉरपोरेट ऑफिस, स्पीड पोस्ट सेंटर, दिल्ली के सिविल और विद्युत कार्यों के उद्देश्य से डाक विभाग (DOP) को 3,14,74,279/- रुपये की राशि प्रेषित की है। इसके अलावा, आईपीपीबी ने सिविल लाइंस, दिल्ली में केंद्रीय प्रसंस्करण केंद्र के सिविल और विद्युत कार्यों के लिए 29,44,835/- रुपये की राशि प्रेषित की है. उपर्युक्त के अतिरिक्त, डाक विभाग के परिसर में 650 आईपीपीबी शाखाओं में फर्नीचर और ब्रांडिंग और डीओपी के विभिन्न एक्सेस पॉइंट्स के लिए ब्रांडिंग के लिए प्रबंध करने के लिए विभिन्न डाक विभाग के अंचलों को 63,19,06,156/- रुपये की राशि प्रेषित की है।

केंद्रीय प्रसंस्करण केंद्र और कॉर्पोरेट कार्यालय में सिविल और विद्युत कार्य 31 मार्च, 2018 को कार्यान्वयन किया जा रहा था। इसके अलावा डाक विभाग के अंचल 31 मार्च, 2018 तक आईपीपीबी शाखाओं के फर्नीचर और ब्रांडिंग और डाक विभाग–एक्सेस प्वाइंट्स के ब्रांडिंग की खरीद का प्रमुख हिस्सा पूरा नहीं कर पाए हैं और अपेक्षित चालान/बिल अभी तक कार्यान्वित नहीं किए गए हैं इसलिए, क्रमशः सीपीसी और कॉर्पोरेट कार्यालय के लिए डाक विभाग–दिल्ली अंचल को प्रेषित रू. 29,44,835/- और रू. 3,14,74,279/- की समस्त राशि सहित फर्नीचर और ब्रांडिंग के लिए डाक विभाग के अंचलों को प्रेषित की गई रू. 65,60,42,091/- की शेष राशि डाक विभाग (पूँजी प्रतिबद्धता) को अग्रिम के रूप में दर्शाई जा रही है।

38. पूँजीगत व्यय का व्युत्क्रमण और पूर्व अवधि मद

आईपीपीबी ने जनवरी 2017 में आईपीपीबी के पायलट लॉन्च को सुविधाजनक बनाने और कार्यान्वित करने के लिए पीएनबी के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया। पीएनबी एमओयू के अंतर्गत परिकल्पित पीएनबी और आईपीपीबी के बीच लागत–दर–लागत व्यवस्था के अंतर्गत आईपीपीबी पर बिल जारी कर रहा है. 31.03.2017 को समाप्त वर्ष के दौरान, सॉफ्टवेयर लाइसेंस/सर्वर के लिए 4.57 करोड़ रुपये की राशि पूँजीकृत की गई थी। जनवरी 2018 से आगे पीएनबी एमओयू के विस्तार के लिए बातचीत करते समय, यह बात हुई कि 2.07 करोड़ रुपये के कुछ सॉफ्टवेयर लाइसेंसों/सर्वरों की निधानी आयु समाप्त हो गई थी। इसलिए, उपचारात्मक उपाय के रूप में,

पिछले वर्ष पूँजीकृत 2.07 करोड़ रुपये की राशि को आगम व्यय शुद्ध के रूप में 0.07 करोड़ रुपये के लिए उस पर प्रभारित मूल्यह्रास के शुद्ध व्युत्क्रमण के लिए व्युत्क्रमित किया गया है. तदनुसार, वर्ष के दौरान असाधारण मद शीर्षक के अंतर्गत पूर्व अवधि व्यय के रूप में 2.00 करोड़ रुपये की शुद्ध राशि को अपलिखित किया गया है।

39. प्रौद्योगिकी मंच

आईपीपीबी ने 801 करोड़ रुपये (जीएसटी समेत) की राशि अपने समर्पित और अनुकूलित प्रौद्योगिकी प्लेटफॉर्म के कार्यान्वयन के लिए अनुबंध किया है. अनुबंध की समय–सीमा 5 वर्ष है, जो दिनांक 14 अगस्त 2017 से प्रभावी है। विक्रेता ने कार्यान्वयन की प्रक्रिया शुरू कर दी है और हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर का परिनियोजन, प्लेटफॉर्म का अनुकूलन और परीक्षण 31 मार्च, 2018 को उन्नत चरण में था. अनुबंध के अनुसार, माइलस्टोन भुगतान 31 मार्च, 2018 तक शुरू नहीं किया गया था। आईपीपीबी प्रौद्योगिकी प्लेटफॉर्म जल्द ही सक्रिय होने की उम्मीद है। उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, आईपीपीबी ने वित्त वर्ष 2017-18 में इस प्रौद्योगिकी प्लेटफॉर्म के लिए कोई व्यय पूँजीकृत नहीं किया है।

क्रमांक रिप-पीएसयू-लेखा/एफ-181/आई.पी.पी.बी./2017-18/545
कार्यालय
महानिदेशक लेखापरीक्षा, डाक व दूरसंचार

शाम नाथ मार्ग, (समीप पुराना सचिवालय), दिल्ली -110054
OFFICE OF THE
DIRECTOR GENERAL OF AUDIT, POST & TELECOMMUNICATIONS
SHAM NATH MARG, (NEAR OLD SECRETARIAT), DELHI-110054
दिनांक .....
DATE

सेवा में
प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी
इंडिया पोस्ट पेमेन्ट्स बैंक लिमिटेड
डाकघर, स्पीड पोस्ट सेंटर बिल्डिंग,
मार्केट बिल्डिंग, मार्केट रोड,
नई दिल्ली -110001

विषय: इंडिया पोस्ट पेमेन्ट्स बैंक लिमिटेड के 31 मार्च 2018 को समाप्त खातो पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6) (बी) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षाक की टिप्पणिया।

महोदय,

उपरोक्त विषय से सम्बंधित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6) (बी) के अंतर्गत इंडिया पोस्ट पेमेन्ट्स बैंक लिमिटेड के 31 मार्च 2018 को समाप्त खातो पर ''टिप्पणियां'' इस पत्र के साथ संलग्न है:
संलग्नक: यथोपरी

भवदीय,
(राजेश रंजन)
निदेशक (एएमजी-1)

दूरभाष	ई-मेल /E-mail	फैक्स /Fax:
23814747/4623/2666	dgapt@cap.gov.in	011-23813822

31 मार्च 2018 को समाप्त हुई वर्ष के लिए इंडिया पोस्ट पेमेन्ट्स बैंक लिमिटेड (आईपीपीबी), नई दिल्ली के वित्तीय विवरणों पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6) (बी) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक और लेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ

कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत निर्धारित वित्तीय रिपोर्ट ढांचे के अनुसार 31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए मैसर्स इंडिया

पोस्ट पेमेन्ट्स बैंक लिमिटेड (आईपीपीबी), नई दिल्ली के वित्तीय विवरणों का विरचन कंपनी के प्रबंधन की ज़िम्मेदारी है. अधिनियम की धारा 139(5) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखा परीक्षक अधिनियम की धारा 143(10) के अंतर्गत निर्धारित अंकेक्षण मानकों के अनुसार स्वतंत्र लेखा परीक्षा के आधार पर अधिनियम की धारा 143 के अंतर्गत वित्तीय विवरणों पर विचार व्यक्त करने के लिए उत्तरदायी है. ऐसा उनके लेखा परिक्षा रिपोर्ट दिनांकीत 10 जुलाई 2018 द्वारा बताया गया है।

मैंने, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की ओर से, 31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए मैसर्स इंडिया पोस्ट पेमेन्ट्स बैंक लिमिटेड, नई दिल्ली के वित्तीय विवरणों का अधिनियम की धारा 143(6) (ए) के अंतर्गत पूरक लेखा परीक्षा किया है. यह अनुपूरक लेखापरीक्षा सांविधिक लेखा परीक्षक के कार्यचालन कागजातों तक पहुंच के बिना स्वतंत्र रूप से की गई है और मुख्य रूप से सांविधिक लेखा परीक्षक जाँच–पड़ताल है और कंपनी के कर्मियों और कुछ लेखांकन अभिलेखों की चयनात्मक परीक्षा तक सीमित है, अपनी अनुपूरक लेखापरीक्षा के आधार पर, मैं अधिनियम की धारा 143(6)(बी) के अंतर्गत निम्नलिखित महत्वपूर्ण मामलों पर प्रकाश डालना चाहता/चाहती हूँ जो मेरे ध्यान में आए हैं और जो मेंरी दृष्टि में वित्तीय विवरणों और संबंधित लेखापरीक्षा रिपोर्ट की बेहतर समझ संभव बनाने के लिए आवश्यक हैं:

सामान्य

कंपनी ने स्थायी परिसंपत्तियों का भौतिक सत्यापन नहीं किया है. अभिलेख में परिसंपत्तियों के स्थान का भी उल्लेख नहीं किया गया है. इस प्रकार संगठन का आंतरिक नियंत्रण कमजोर है. सांविधिक लेखा परीक्षक ने भी अपने रिपोर्ट में इसका उल्लेख नहीं किया है.

(संगिता/चौरे)
लेखा परीक्षा महानिदेशक
(डाक और दूरसंचार)

स्वतंत्र लेखा परीक्षक के रिपोर्ट का अनुपूरक

सेवा में
भारत के राष्ट्रपति
इंडिया पोस्ट पेमेन्ट्स बैंक लिमिटेड के लिए
स्वाचालित वित्तीय विवरणों के लेखापरीक्षा में रिपोर्ट

हमने कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143(2) और (3) के अंतर्गत अपनी स्वतंत्र लेखा परीक्षा रिपोर्ट दिनाँकित 20 जुलाई, 2018 जारी किया है। इसके बाद, सीएजी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6) के अंतर्गत पूरक लेखा परीक्षा किया गया।

सीएजी की टिप्पणियों के आलोक में हम इस प्रकार निम्नानुसार रिपोर्ट करते हैं :

अर्हताप्राप्ती विकल्प

कंपनी ने अचल परिसंपत्तियों का भौतिक सत्यापन नहीं किया है. अभिलेखों में परिसंपत्तियों के स्थान का भी उल्लेख नहीं किया गया है। इस प्रकार संगठन का आंतरिक नियंत्रण कमजोर है. सांविधिक लेखा परीक्षक ने भी अपने रिपोर्ट में इसका उल्लेख नहीं किया है :

हमारा पहले का रिपोर्ट दिनाँकित 20 जुलाई, 2018 उपर्युक्त अर्हता के साथ पढ़ा जाना चाहिए।

कृते वी.के. सहगल और एसोसिएट्स
चार्टर्ड अकाउंटेन्ट

Sd/-
अनुज माहेश्वरी
भागीदार

दिनांक : 11 अक्टूबर, 2018
स्थान : नई दिल्ली